मंगलवार,
१ दिसंबर, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

पांचवा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# लोक सभा

मंगलवार, १ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### लेखा प्रणाली

*४४३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या संघ तथा राज्य सरकारों की वर्तमान प्रणाली को, जो कि वर्तमान संविधानिक व्यवस्था को देखते हुये पुरानी पड़ गई है सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; तथा

(ग) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) से (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १**]

**श्री एस० एन० दास** : विवरण में उल्लिखित मद (२) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किन्हीं पदाधिकारियों से यह कहा गया है कि वे ऐसे सब





संशोधन तैयार करें जो कि वर्तमान लेखा नियमों तथा प्रक्रयों में आवश्यक हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां।

**श्री एस० एन० दास** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि यह लेखा प्रक्रिया तथा नियम कब तक संविधान के अनुकूल बना दिये जायेंगे ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : यह बताना तो सम्भव नहीं है, हां, इन पदाधिकारियों की रिपोर्ट के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास वित्तीय वर्ष के अंत के पूर्व पहुंच जाने की आशा थी।

**श्री एस० एन० दास** : क्या लेखा परीक्षा तथा लेखा को अलग अलग करने तथा वर्तमान नियमों को संविधान द्वारा परिवर्तित दशाओं के अनुकूल बनाने की सामान्य आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। साधारणतः इस विषय पर हम राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

### मानचित्रों का हिन्दी में तैयार किया जाना

४४४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत भू परिमाप विभाग

ने कोइ मानचित्र हिन्दी में तैयार करने का काम हाथ में लिया है ;

(ख) ७ जुलाई १९५२ से कौन कौन से विशेष मानचित्र हिन्दी में तैयार किये गये हैं ; तथा

(ग) क्या यह विभाग कोई मानचित्र किसी प्रादेशिक भाषा में भी तैयार करता है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :**

(क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

**सरदार हुक्म सिंह :** इन मानचित्रों के हिन्दी में तैयार किये जाने का काम कब हाथ में लिया गया था ? उन्हें हिन्दी में छापने का निश्चय कब किया गया था ?

**श्री के० डी० मालवीय :** पहला हिन्दी मानचित्र सन् १९५२ में प्रकाशित किया गया था, परन्तु हिन्दी मानचित्रों के प्रकाशन में मुख्य कठिनाई प्रारम्भ से यह रही है कि उपयुक्त हिन्दी 'टाईप' प्राप्य नहीं हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या इस विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मानचित्रों में कोई विशेषतायें रहेंगी ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां । हिन्दी मानचित्रों के मुद्रण के कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार यह है कि रेल मार्गों के मानचित्र, सड़कों के मानचित्र तथा अन्य प्रकार के मानचित्र तैयार किये जायें, परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा कठिनाई यही है कि अच्छे हिन्दी 'टाइप' नहीं मिलते ।

**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार ने किन मानचित्रों को हिन्दी में तैयार करने का काम हाथ में लिया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** इन प्रकारों के मानचित्रों के तैयार किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है :

भारत का राजनैतिक मानचित्र– १″= ७० मील ;

भारत का प्राकृतिक मानचित्र– १″= ७० मील ;

भारत का मानचित्र–१″=१२८ मील

भारत का मानचित्र–१″=१९२ मील और १″=१६ मील के पैमाना के मानचित्र ।

**श्री एस० एन० दास :** क्या सरकार ने हिन्दी 'टाइप' प्राप्य न होने की कठिनाई को दूर करने के लिये भी कोई कदम उठाया है ?

**श्री के० डी मालवीय :** कठिनाई पर विचार किया गया है और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही हिन्दी के अधिक अच्छे 'टाइप' प्रयोग करने लगेंगे ।

**खानों के लिये यंत्रीकरण केन्द्र**

***४४५. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री दिनांक ८ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय खान विद्यालय (इन्डियन स्कूल आफ़ माइन्स) में विद्यार्थियों को खान यंत्रीकरण में प्रशिक्षण देने के लिये एक यंत्रीकरण केन्द्र स्थपित करने की संम्भावना की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानकि अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) तथा (ख). समिति की अभी तक बैठक नहीं हो सकी है क्योंकि एक सदस्य जो कोयला खानों तथा खान यंत्रों में विशेषज्ञ हैं और जिनकी उपस्थिति समिति के कार्य के लिये परमावश्यक है, विदेश गये हुये हैं। वह विशेष प्रशिक्षण के लिये गये हैं और उनके जनवरी १९५४ में वापिस आने की आशा है।

**शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सुविधायें**

*४४६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिनांक १७ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी ऐसे कर्मचारी के लिये, जो अपने फालतू समय का उपयोग शिक्षा का प्रसार करने में करना चाहता पहले सरकार से अनुमति, लेना ज़रूरी है; तथा

(ख) यदि हां तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है (१) जिन्होंने अनुमति मांगी तथा (२) जिन्हें अनुमति दी गई ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सरदार हुक्म सिंह :** यदि हम देश में साक्षरता आन्दोलन चलाना चाहते हैं तो फिर इन व्यक्तियों को अनुमति देने में क्या कोई विशेष कठिनाई है ?

**श्री दातार :** मेरे माननीय मित्र ने मेरे उत्तर को ग़लत समझा। हमने यह अनुदेश दे दिये हैं कि वे यह कार्य किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही कर सकते हैं।

**सरदार हुक्म सिंह :** यदि इस कार्य के लिये अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, तो क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सामग्री है कि कितने व्यक्तियों ने यह काम हाथ में ले रखा है और क्या उन्हें सवारी आदि के व्यय के रूप में कोई पारिश्रमिक मिलता है ?

**श्री दातार :** नियमों के अधीन उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिल सकता। यह काम बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिय ही किया जाना चाहिये।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या उन्हें सवारी आदि के व्यय के लिये भी कुछ दिये जाने की अनुमति नहीं है ?

**श्री दातार :** इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

**उच्चन्यायालय के न्यायाधीश**

*४४७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में या किसी ऐसे उच्च-न्यायालय में, जिसमे कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के पहले काम न किया हो, वकालत करने की अनुमति देने का है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** इस प्रस्थापना पर भारत सरकार विचार कर रही है।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी इस प्रस्थापना पर अपनी राय देने के लिय कहा है ?

**श्री दातार :** जी हां, राज्य सरकारों की राय मिल गई हैं।

**डा० राम सुभग सिंह :** किस किस राज्य ने इस प्रस्थापना पर अपनी असहमति प्रकट की है ?

**श्री दातार :** इस समय विभन्न राज्यों के नाम बताना उचित नहीं होगा ।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार का विचार उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि करने का भी है ?

**श्री दातार :** जी नहीं, इस प्रश्न का मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

**नैशनल कैडिट कोर**

***४४८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ और नेशनल कैडिट कोर एयर स्क्वैड्रन्स बनाने का है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कब ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :**

(क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष में निम्न एयर विंग यूनिट बनाई गई हैं :–

**सीनियर डिवीज़न**

१ एयर स्क्वैड्रन मध्य प्रदेश में ।

१ एयर स्क्वैड्रन पंजाब में ।

**जूनियर डिवीज़न**

इन्दौर, बेगमपेट, अजमेर, पटियाला और लवडेल पब्लिक स्कूलों में एक एक एयर ट्रुप ।

**डा० राम सुभग सिंह :** इस एयर स्क्वैड्रन ट्रेनिंग के जारी किये जाने पर कितना व्यय हुआ ?

**श्री सतीश चन्द्र :** अकेले एयर विंगों पर किये गये व्यय के अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, क्यों कि नेशनल कैडट कोर का सारा व्यय केन्द्र तथा राज्य मिल कर उठाते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या देश के भिन्न भिन्न उड्डयन क्लबों को रुपया देने के लिये कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गई है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** कोई प्राथमिकता नहीं है । जब राज्य सरकारें मांग करती हैं,—और यदि वे कुल व्यय में से अपना अंश देने को तैयार होती हैं तो केन्द्रीय सरकार उस स्थान विशेष में स्थित कालेज या यूनिवर्सिटी में एक एयर यूनिट खोल देती है ।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेज दिया गया है जिससे कि वे अपनी प्रस्थापनायें भेज सकें ?

**श्री सतीश चन्द्र :** स्पष्ट है कि एयर स्क्वैड्रन्स केवल ऐसी जगह खोले जा सकते हैं जहां उड्डयन क्लब हों। हमने राज्य सरकारों से पूछा है कि क्या वे अपने अपने राज्यों मे स्थित उड्डयन क्लबों के सहयोग से और एयर स्क्वैड्रन्स चाहते हैं ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्योंकि लवडेल में कोई उड्डयन क्लब नहीं है, मैं जानना चहता हूं कि क्या वहां भी ट्रेनिंग दी जायेगी ? माननीय उपमंत्री ने जिन स्थानों का उल्लेख किया उनमें लवडेल भी एक था ।

**श्री सतीश चन्द्र :** मैंनें यह कहा था कि लवडेल में एक जूनियर डिवीज़न का एयर ट्रुप है । जूनियर डिवीज़न में उड़ान की ट्रेनिंग नहीं दी जाती ।

**सांस्कृतिक मिशनों का आदान-प्रदान**

***४५०. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर का

ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद के तत्वाधान में अब तक कितने प्रमुख विदेशी भारत आये हैं तथा कितने प्रमुख भारतीय विदेशों को गये हैं ;

(ख) प्रमुख भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने अब तक कितने अध्ययन भ्रमण जिनके लिये कि परिषद् ने अब तक अनुदान दिये हैं, किये हैं ; अथवा

(ग) किन किन विदेशी संस्थाओं में भारतीय मामलों से सम्बन्धित शाखायें खोली गई हैं ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) क्रमशः पांच तथा तीन

(ख) क्रमशः तीन तथा एक ।

(ग) एक ।

**श्री एस० एन० मिश्र :** इस परिषद ने विदेशों में किन किन संस्थाओं से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** कौंसिल दूसरे मुल्कों के इन्स्टीट्यूशन्स से ज़रूर ताल्लुकात पैदा करें इस तरह का कोई काम इस ने शुरू नहीं किया है । लेकिन जिस जिस जगह इसने अपना कोई कलचरल सैंटर कायम किया है, जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रोफेसर भेजा है, वहां इस तरह के ताल्लुकात कायम हुये हैं ।

**श्री एस० एन० मिश्र :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ बाहर से आते हैं वे आखिर कैसे आते हैं ? सरकारों को दावत दी है या वहां की संस्थाओं (इन्स्टिट्यूशन) की तरफ से आते हैं ?

**मौलाना आज़ाद :** कभी गवर्नमेंट के ज़रिये, कभी डायरेक्ट कौंसिल को ।

**श्री एस० एन० मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि यहां से जो विशेषज्ञ भेजे गये उन के नाम क्या हैं, या बाहर से जो विशेषज्ञ आये उनके नाम क्या हैं ।

**श्री के० डी० मालवीय :** जो यहां से बाहर गये उनके नाम : मिसेज साराभाई....

**अध्यक्ष महोदय :** आप उनकी संख्या बता दीजिये ।

**श्री के० डी० मालवीय :** वह तो तीन ही हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह :** उन के नाम भी बता दीजिये ।

**श्री के० डी० मालवीय :** उन के नाम ये हैं :

१. मिसेज साराभाई, जो दिसम्बर, १९५० में इजिप्ट गई थीं ।

२. श्री काका साहब कालेलकर और श्री जी० राम चन्द्र, जो अक्तूबर, १९५२ में नैरोबी गये थे ।

३. श्री दलीप कुमार राय और श्रीमती इद्रा देवी, जो मार्च, १९५३ में अमरीका गये थे ।

जो बाहर से आये वह ये हैं :

१. प्रो० सईद नफीसी, ईरान के, जो शांति निकेतन की वर्ल्ड पैसिफिस्ट कान्फरेन्स में शामिल हुये ।

२. मेसर्ज मुसाजी और मुलिरा, यूगैन्डा से, जनवरी, १९५३ ।

३. मि० ओगिंगा ओडिंगा किसुम्, बृटिश ईस्ट अफ्रीका से, मार्च-अप्रैल, १९५३ ।

४. मैडम निला कुक, ईरानियन बैलट के साथ, अप्रैल, १९५३ ।

५. डा० माइल्स डिल्लन, डब्लिन से, अगस्त-सितम्बर, १९५३ ।

**श्री मुनिस्वामी** : क्या अध्ययन कक्षायें लगाने के बाद यह कौंसिल कोई रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है ; यदि करती है, तो इस समय तक कितनी रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं ?

**मौलाना आज़ाद** : नहीं, इस सिलसिले में कोई खास रिपोर्ट इस ने शाया (प्रकाशित) नहीं की है ।

**आंध्र में खनिज पदार्थ**

***४५१. श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य में मैंगनीज़ अभ्रक, बेरीटिस, चूने का पत्थर तथा जिपसम ढूंढ़ निकालने की सम्भावनाओं का कहां तक अन्वेषण किया गया है ; तथा

(ख) क्या आंध्र राज्य में कोई कोयले का मैदान है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २ ]

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

**श्री अमजद अली** : भाग (क) के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आंध्र में मैंगनीज़, अभ्रक, बेरीटिस तथा चूने के पत्थर में से किसी एक खनिज पदार्थ के बारे में परिमाप हुआ है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : अन्वेषण तो किया गया है तथा उपलब्ध सूचना सदन पटल पर रख दी गई है । जहां तक सविस्तार पर्यवेक्षण का सम्बन्ध है, यह बात प्राइवेट उद्योगपतियों अथवा अन्य किसी व्यक्ति पर जो कि सरकार के परामर्श पर इन खनिज पदार्थों को निकालने का काम अपने हांथ में ले लेगा, निर्भर है ।

**डा० रामाराव** : क्या इन कच्ची धातुओं का औद्योगिक रूप से विकास करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जैसे कि मैं ने निवेदन किया, खानों से खनिज पदार्थ निकालना राज्यों का काम है । हम केवल सामान्य परिमाप करते हैं तथा राज्य सरकारों को सूचना दे देते हैं कि किस राज्य विशेष में क्या खनिज पदार्थ मिलते हैं ।

**पोस्ता**

***४५२. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन क्षेत्रों में पोस्ता की खेती पर रोक लगाने का विचार रखती है जहां कि इस की इस समय इज़ाज़त है ;

(ख) यदि रखती है, तो क्या इस के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ; तथा

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि पोस्ता पौधा अनाज के लिये, जिन्हे कि टिहरी गढ़वाल ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा करना कठिन है, एक आवश्यक स्थानापन्न पौधा है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** (क) तथा (ख) । जी नहीं, श्रीमान् । सरकार पोस्ता उत्पादी क्षेत्रों में पोस्ता की खेती को रोकने का कोई विचार नहीं रखती है, परन्तु उन्होने चालू वर्ष में अर्थात १-१०-५३ से ३०-९-५४ तक पोस्ता उत्पादी क्षेत्र पर कुछ निर्बन्धन लगा दिये हैं क्योंकि माल काफी जमा है, भीतरी मांग कम हुई है और इसका निर्यात भी कम होने की आशंका है । सरकार अगले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश में, जहां कि उत्पादन कम है तथा

नियंत्रण कठिन है, उस पोस्ते की खेती पर रोक लगाने का विचार रखती है जो कि अफीम बनाने के काम में लाया जाता है। इसी तरह से उन इलाकों में भी जहां कि पोस्ते की खेती अफीम के लिये नहीं अपितु बीज के लिये होती है जैसे कि पंजाब,पेप्सू तथा उत्तर प्रदेश में, वहा भी इसकी खेती शनैः शनैः कम की जायेगी।

(ग) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार टिहरी गढ़वाल में अनाज उगाना कठिन नहीं है ; फिर भी सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उस क्षेत्र के लोग पोस्ते की ढोंढी को खाद्य के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इस लिये यह निश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मश्विरे से टिहरी-गढ़वाल में पोस्ते की ढोंढी की काश्त जारी रखी जाये यद्यपि अगले चार वर्षों में इसकी खेती में सक्रम कमी होती जायेगी।

**श्री सारंगधर दास :** इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने अफीम के उपभोग में प्रति वर्ष १० प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस में किस तरह से कमी हो जायेगी जब कि पोस्ते की खेती में कोई कमी नहीं होगी ?

**श्री ए० सी० गुहा :** श्रीमान्, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार हमें विभिन्न राज्यों के खाने के लिये अफीम देना बंद करना होगा तथा यह प्रदाय १९५९ में बंद की जायेगी। तदनुसार हम पोस्ते की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में भी कमी कर रहे हैं।

**श्री के० के० बसु :** देश में पोस्ते के उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग उपयोग में लाया जाता है तथा कितना प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** श्रीमान्, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

**श्री राधेलाल व्यास :** क्या हिमाचल प्रदेश में वास्तव में इसका उत्पादन अब कम है अथवा क्या यह इस लिये कम दिखाया जाता है कि उस राज्य से अफीम चोरी छिपे बाहर ली जाती है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** हिमांचल प्रदेश में थोड़ी मात्रा चोरी छिपे बाहर भेजी जाती है।

## आय-कर न्यायाधिकरण (पटना शाखा)

***४५४. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**

(क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आय-कर अपील न्यायाधिकरण पटना बैंच को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि है तो यह किस स्थान पर खोली जायगी ?

(ग) क्या बिहार व्यापार मण्डल ने एक अभ्यावेदन पेश किया है जिस में कि इस बैंच को पटना से हटाये जाने का विरोध किया गया है ?

(घ) उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) :** (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले पर विचार हो रहा है। अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या इलाहाबाद बैंच को वहां से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रस्थापना थी परन्तु वह मंसूख की गई तथा बिहार का मामला वैसे ही रखा गया ?

**श्री बिस्वास :** वास्तव में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से हमें एक ही समय इलाहाबाद बैंच तथा पटना बैंच को दूसरी जगहों पर ले जाने की प्रस्थापना प्राप्त हुई। इलाहाबाद वालों की ओर से इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये जिन में कि इस प्रस्थापना का विरोध किया गया था। पटना के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया गया था। तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से इस पर बाद में विचार किया गया तथा निश्चय किया गया कि इलाहाबाद बैंच को फिलहाल अपने ही स्थान पर रख दिया जाये। जहां तक पटना का सम्बन्ध है, चूंकि कोई गम्भीर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये, इस लिये फैसला नहीं बदला गया। परन्तु जब इलाहाबाद बैंच को अपने ही स्थान पर रखने का फैसला किया गया तो पटना से भी विरोध पत्रों की भरमार होने लगी। वास्तव में सुझाव यह था कि यद्यपि पटना बैंच को कलकत्ता ले जाया जायेगा, फिर भी कर दाताओं को यह विकल्प दिया जायगा कि वह अपने मामलों की सुनवाई कलकत्ता में करवायें अथवा पटना में। पटना में एक छोटा सा कार्यालय रखा जायगा जहां कि अपीलें तथा प्रार्थना पत्र दिये जा सकते हैं तथा जब यह पर्याप्त संख्या में एकत्रित हो जायेंगे तो कलकत्ता से इन अपीलों तथा प्रार्थना पत्रों का निर्णयन करने के लिये एक बैंच आ जायगा। कुछ भी हो, इससे आपत्ति उठाने वालों को संतोष नहीं हुआ। अब हमें व्यापार मण्डल तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाओं आदि की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। तो इन को ध्यान में रखते हुये अब सारे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

**श्री नागेश्वर प्रहाद सिन्हा :** यदि गम्भीर अभ्यावेदनों की भर मार होगी तो क्या फैसला बिहार के पक्ष में होगा ?

**श्री बिस्वास :** यह बात इन अभ्यावेदनों के गुणदोषों पर निर्भर है।

**निर्वाचन विधि प्रतिवेदन**

***४५५. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "निर्वाचन विधि प्रतिवेदन" जिस में कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालयों के फैसले दिए गए होंगे कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) :** निर्वाचन विधि प्रतिवेदन को खंडों में प्रकाशित किया जायगा तथा प्रथम खंड के दिसम्बर, १९५३ में प्रकाशित होने की आशा है।

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या यह पूर्णतया एक सरकारी प्रकाशन होगा ?

**श्री बिस्वास :** यह एक सरकारी प्रकाशन होगा; जैसे कि हमारी उच्चतम न्यायालय की रिपोर्टें तथा उच्च न्यायालयों की रिपोर्टें होती हैं; इसी तरह से निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें भी होंगी।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के अन्तिम फैसले के अनुसार निर्वाचन विधि में परिवर्तन करने का विचार करती है ?

**श्री बिस्वास :** इस से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री सैय्यद अहमद :** उच्चतम न्यायालय का फैसला क्या है ?—उच्चतम न्यायालय ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है।

**स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी**

***४५६. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी को पश्चिमी बंगाल

में कितने समय के लिए खानकनी तथा पर्यवेक्षण के लाइसेंस दिए गए हैं ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी को पश्चिमी बंगाल में पैट्रोल के लिये खानकनी का कोई पट्टा अथवा पर्यवेक्षण का कोई लाइसेंस अभी नहीं दिया गया है।

**श्री के० पी० सिन्हा :** क्या इस कम्पनी ने इस क्षेत्र का कोई परिमाप किया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां, इस कम्पनी ने कुछ समय पहले परिमाप किया था ।

**श्री के० पी० सिन्हा :** क्या कोई रिपोर्ट पेश की गई है तथा क्या वहां तेल मिलने की कोई सम्भावना है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां, श्रीमान् ।

**श्री के० के० बसु :** क्या परिमाप करने की अनुमति देने में एक शर्त यह भी रखी गई है कि यदि कोई अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी तो इस कम्पनी को उस क्षेत्र में तेल निकालने का पट्टा दिया जायगा ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी नहीं, श्रीमान् ऐसी बात नहीं है ।

### दामोदर घाटी कारपोरेशन ऋण

***४५७. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रथम दामोदर घाटी कारपोरेशन ऋण के अन्तर्गत समस्त राशि निकाल ली गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार ३१ अगस्त १९५३, तक कुल १८,५००,००० डालर की प्रथम ऋण राशि में से १४०,८५,२०६ डालर निकाल लिए गए हैं ।

**श्री के० पी० सिन्हा :** क्या मैं जान सकता हूं कि प्रथम ऋण से दामोदर घाटी कारपोरेशन के प्रथम प्रक्रम की समस्त लागत पूरी हो जाएगी ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** इससे बोकारो विद्युत संयंत्र कोनार बांध तथा तीन ट्रान्समिशन लाइनों जिनमें बर्दवान, खडगपुर तथा सिन्दरी इत्यादि सम्मिलित हैं के विदेशी मुद्रा का तत्व पूरा हो सकेगा ।

**श्री के० पी० सिन्हा :** क्या दूसरा ऋण लेने का कोई कार्यक्रम है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** १९५ लाख डालर का दूसरा ऋण हमें मिल गया है ।

**श्री एस० एन० मिश्र :** क्या राड समिति ने इस ऋण के उपयोग पर किसी प्रकार की टिप्पणी की है, और यदि हां, तो उसका परिणाम ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** राड समिति का सम्बन्ध सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से है ।

**श्री एस० एन० मिश्र :** मेरा प्रश्न ऋण के उपयोग से सम्बन्धित है । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न वित्त मंत्री के अन्तर्गत ही आता है ।

**श्री सी० डी० देशमुख :** यह मामला मेरी निगाह में नहीं आया है ।

### जनगणना रिपोर्ट

***४६०. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य से सन् १९५१ की जनगणना रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** हैदराबाद राज्य की १९५१ की जनगणना रिपोर्ट तैयार हो रही है तथा पूरी होने वाली है ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य कितने राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं ?

**श्री दातार :** कई राज्यों ने ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** सरकार का उन्हें कब प्रकाशित करने का इरादा है ?

**श्री दातार :** सरकार का इरादा जन-गणना सम्बन्धी समस्त रिपोर्टों को यथा-शीघ्र प्रकाशित करने का है ।

**श्री नवल प्रभाकर :** क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद में जिन हरिजनों और अछूतों को लिखा गया है उनको भी सैंसस में ले लिया गया है ?

**श्री दातार :** सैंसस में इस सब को लिया जाएगा ।

**श्री नवल प्रभाकर :** उन की गणना किस तरह से की गई है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपका सवाल क्या है ?

**श्री नवल प्रभाकर :** इन्होंने जो अछूतों और हरिजनो कों दिखाया है, उनकी गणना किस तरह से की गई है ?

**श्री दातार :** अनुसूचित जातियों की गणना के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हैदराबाद के मामले में भी उनका अनुसरण किया जाएगा ।

**लाटरियां तथा पहेलियां**

***४६१. श्री राधा रमण :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को विदित है कि लाटरियों तथा पहेलियों में बहुत सी भारतीय मुद्रा विदेशों को चली जाती है ?

(ख) क्या यह रुपया विदेशों में जाने से रोकने के लिए सरकार का कोई पग उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) :** (क) और (ख). यद्यपि विशिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए रुपया भेजने की इजाज़त नहीं दी जाती, तथापि सरकार को विदित है कि लांटरियों तथा पहेलियों के जरिये कुछ रुपया बाहर जाता है । किन्तु सरकार की राय में यह इतनी बड़ी राशि नहीं है कि विनिमय नियंत्रण में अधिक कड़ाई की जाए जिस के कि अन्य अवांच्छनीय परिणाम होंगे ।

**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने इस प्रकार के कोई आंकड़े संकलित किए हैं कि भारत में चलाई जाने वाली कितनी लांटरियां और पहेलियों में विदेशी भाग लेने वाले पुरस्कार जीतते हैं ?

**श्री बी० आर० भगत :** जी नहीं ।

**श्री राधा रमण :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का भविष्य में इस प्रकार के आंकड़े संकलित करने का कोई विचार है ?

**श्री जी० पी० सिन्हा :** सरकार के इस उत्तर की दृष्टि में कि सरकार के सम्मुख कोई आंकड़े नहीं हैं, सरकार यह कैसे सोच सकी .....

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या सरकार को विदित है कि कुछ लाटरियां और पहेलियां जो कि इस देश में तथा पड़ोस के कुछ देशों में चलाई जाती हैं जिनके कार्यालय भिन्न-भिन्न होते हैं और रुपए के भुगतान का प्रबन्ध भी भिन्न होता है ऐसे कुछ समवाय स्वयं दिल्ली में मौजूद हैं ?

**श्री बी० आर० भगत :** ऐसे कुछ कार्यालय हो सकते हैं, किन्तु यह प्रश्न विशिष्ट रूप से उनसे सम्बन्धित नहीं है । हमारे

कार्यवाही करने की बात तभी उठती है जब कि रुपये के भुगतान के मामले में यह विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत आता हो ।

**पेप्सू में मजदूर संघ**

४६३. **श्री अजित सिंह :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पेप्सू में प्रेसीडेंट का शासन लागू किए जाने से अब तक कितने मजदूर संघ रजिस्टर हो चुके हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : दो नामतः, (१) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्पलायीज़ यूनियन, पटियाला और (२) पटियाला सीमेंट एण्ड क्वैरी वर्कर्स यूनियन, सूरजपुर ।

**श्री पुन्नूस**: राष्ट्रपति का शासन प्रारम्भ होने से पूर्व पेप्सू में मजदूर संघों की संख्या कितनी थी ?

**डा० काटजू :** आठ, और ये दो मिलकर अब दस हैं ।

**श्री पुन्नूस :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस दौरान में किसी संघ की मान्यता रद्द की गई है ।

**डा० काटजू :** मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

**स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास**

*४६४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास तैयार करने में केन्द्रीय समिति की सहायता के लिए जो राज्य समितियां बनाई गई हैं उन पर होने वाला व्यय कौन वहन करेगा ?

(ख) क्या यह अंतिम रूप से निर्णय किया जा चुका है कि सामग्री संकलित करने के लिये ये समितियां विगत काल के कितने समय तक का इतिहास लेंगी ;

(ग) क्या विदेशों से भी संगत सामग्री तैयार करने के कोई प्रयत्न किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) सम्बन्धित राज्य सरकार ।

(ख) भारत में विभिन्न समयों तथा विभिन्न स्थानों पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के विरुद्ध प्रतिरोधी कार्यवाहियों सम्बन्धी समग्र सामग्री संकलित की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) चूंकि अब तक संकलित की गई सामग्री बहुत अधिक है और अभी तक वर्गीकृत नहीं की गई है, इसलिए इस प्रक्रम पर यह सूचना देना बहुत कठिन है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो बताया गया है उस के अनुसार क्या सिपाही म्यूटिनी के वक्त के पहले का कोई मैटीरियल इकट्ठा नहीं किया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी नहीं, सिपाही म्यूटिनी के पहले का भी मैटीरियल इकट्ठा किया गया है और जैसा मैं ने कहा बाहर से भी आया है ।

**श्री ए० सी० सामन्त :** क्या उड़ीसा के लिये भी है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** खास खास जगह के लिये तो हमें इस वक्त बतलाना मुश्किल है, लेकिन कमेटी ने जो मैटीरियल जमा किया है वह हर जगह से ताल्लुक रखता है और बहुत ज्यादा ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** बाहर से जो मैटीरियल मिला है, क्या वह वापस देना पड़ेगा या उस को हम रख सकते हैं ?

**मौलाना आजाद :** नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन को वापस नहीं करना है, जैसे कि युनाइटैड स्टेट्स से कुछ चीजें आई हैं, वह हम को मिल गयी हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या नेताजी के बारे में भी मैटिरियल इकट्ठा किया गया है ?

**मौलाना आजाद :** बहुत कुछ ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या मैं जान सकता हूं कि नशनल आर्काइवस् के इस प्रकार के दस्तावेज जैसे कि कांग्रस की नीव डालने से पूर्व सर एलन ह्यूम द्वारा परीक्षित किए गए थे, इस समिति के सदस्यों तथा इस इतिहास के संकलन में सहायता करने वालों को उपलब्ध हैं ?

**मौलाना आजाद :** जी हां ।

**जम्मू काश्मीर राज्य में अस्पताल को सहायता**

***४६५. श्री गिडवानी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में ५०० रोगी-शय्याओं के एक आधुनिक अस्पताल के लिए भारत सरकार ने समस्त उपकरण तथा सामग्री देना प्रस्तुत किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

(ग) क्या किसी अन्य राज्य को भी इस प्रकार की सहायता दी गई है, अथवा दिए जाने का विचार है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां, सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता से अतिरेक सामान में से ।

(ख) सामान का पुस्त-मूल्य लगभग १,८६,००० रु० है ।

(ग) तीन लाख रुपये के मूल्य का अतिरिक्त सामान अनेक राज्यों को वहां की नागरिक जनता के प्रयोग के लिए दिया गया है ।

ड्राइड ब्लड प्लाज़मा की ९,५८० बोतलें भी, जो कि सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता से अधिक समझी गई थी ; और जिनका मूल्य १.८२ लाख रुपए प्राक्कलित किया गया है, हाल में राज्य सरकारों, श्रम मंत्रालय तथा धनबाद की कोयला खदानों में वितरित की गई थीं ।

**भाग 'ख' राज्यों की विशेष सहायता जांच समिति**

***४६६. श्री गिडवानी :** '(क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग 'ख' राज्यों की विशेष सहायता जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार द्वारा उन पर विचार किया जा चुका है और यदि हां तो उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिशों पर इस समय सक्रिय विचार किया जा रहा है । प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय शीघ्र ही प्रकाशित किए जायेंगे ।

**तेल-वाहक नौ पोत**

***४६७. श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल में हमारी भारतीय नौसेना द्वारा एक तेल-वाहक समुद्री नौपोत खरीदा गया है ?

(ख) पोत का नाम क्या है ?

(ग) यह कहां से खरीदा गया है ?

(घ) इसकी समाई क्या है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) जी हां ।

(ख) पोत का नाम 'शक्ति' है ।

(ग) इसके निर्माताओं, मेसर्स नेवलमेक्कानिया आफ नेप्लस, इटली से ।

(घ) ३०,८० टन का ।

**श्री मुनिस्वामी :** क्या मैं इस तेल-वाहक का मूल्य जान सकता हूं ?

**श्री त्यागी :** आवश्यक परिवर्त्तनों तथा फुटकर पुर्ज़ों के अतिरिक्त, जिनका मूल्य ५ लाख रुपए है, इस प्रोत का मूल्य ४८ लाख रुपया है ।

**श्री मुनिस्वामी :** क्या हमारे देश में केवल यही एक तेल-वाहक पोत है ?

**श्री त्यागी :** सशस्त्र सेनाओं के पास तो यही एक है । समस्त देश के सम्बन्ध में मैं यकीनन नहीं कह सकता ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या यह सच है कि बम्बई में स्थापित तेल-परिष्करिणियों के काम प्रारम्भ कर देने पर, भारत के अन्य भागों में हमारा तेल भेजने के लिए हमारे पास अपने स्वयं के कोई तेल-वाहक नहीं होंगे ?

**श्री त्यागी :** यह प्रश्न हमारी नौसेना के सम्बन्ध में, अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में नहीं ।

## आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारी (वेतन श्रेणी)

*४६८. **श्री दाभी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २६ अगस्त १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ४५९ का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० एस० पदाधिकारियों और आई० ए० एस० पदाधिकारियों की वेतन-श्रेणी में भेद; तथा

(ख) क्या कोई आई० ए० एस० पदाधिकारी उतना ही या लगभग उतना ही वेतन पाता है, जितना आई० सी० एस० पदाधिकारी ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारियों को मिलने वाली काल-वेतन-श्रेणियां विवरण (१) में पृथक्-पृथक् दी जा रही हैं । काल-श्रेणी के अतिरिक्त व्यक्तिगत पदों से संबंधित वेतन, जब उन पदों पर आई० सी० एस० या आई० ए० एस० पदाधिकारी आरूढ़ हों, विवरण (२) में दिए जा रहे हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) राज्य असैनिक सेवाओं के उन पदाधिकारियों को—जो आई० सी० एस० के स्थायी सूची वाले रिक्त स्थानों में स्थायी रूप में रखे जा सकते थे परन्तु वस्तुतः स्थायी रूप में रखे नहीं गए थे और जिनको बाद में आई० ए० एस० में नियुक्त किया गया था—आई० सी० एस० का वेतन पाने की अनुमति दी गई है । काल-श्रेणी से अधिक वेतन वाले कुछ पदों के विषय में, जिनका वेतन अभी भारत सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, राज्य सरकारों ने कुछ मामलों में आई० ए० एस० पदाधिकारियों को वह वेतन ग्रहण करने की अनुमति दे दी है, जो उन पदों पर आई० सी० एस० के पदाधिकारियों को मिलता । इन अपवादों के अलावा आई० ए० एस० के पदाधिकारियों को आई० सी० एस० पदाधिकारियों जितना वेतन नहीं मिलता ।

**श्री दाभी :** विवरण (२) में बताया गया है कि अन्य तत्समान पदों के विषय में, जिनमें आई० सी० एस० पदाधिकारियों को विशेष वेतन या काल-श्रेणियों से अधिक वेतन मिलता था, आई० ए० एस० पदाधिकारियों के संबंध में कुछ निर्णय नहीं किया गया है। मैं जान सकता हूं कि अन्य तत्समान प्रद क्या हैं ?

**श्री दातार :** सूची काफी बड़ी है, मैं यहां पर नहीं बता सकता।

**श्री दाभी :** विशेष वेतन के विषय में कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

**श्री दातार :** राज्य सरकारों से उत्तर मिलने के बाद तुरन्त ।

**श्री दाभी :** क्या मैं इस समय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में काम करने वाले आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या जान सकता हूं ?

**श्री दातार :** मैं यह जानकारी बिना देखे नहीं दे सकता।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं जान सकती हूं कि क्या आई० सी० एस० पदाधिकारियों से उनका वेतन आई० ए० एस० जितना कम करने के लिये कुछ अनुरोध किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न पैदा होता है।

**श्री नानादास :** मैं जान सकता हूं कि अंतिम आई० सी० एस० पदाधिकारी कब रखा गया है और उसके कब तक कार्य-निवृत्त होने की आशा है ?

**श्री दातार :** मै इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहूंगा।

**सैनिकों का पता**

***४६९. श्री पुन्नूस :** (क) क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारी सैनिकों के पते के विषय में रिश्तेदारों की पूछ-ताछ का उत्तर देते रहे हैं ?

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में संतोषजनक सिद्ध हुई थी ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) हां जिन मामलों में पहचान में सुविधा देने वाले पर्याप्त विवरण भेजे गए थे।

(ख) दी गई जानकारी सन्तोषजनक थी।

**श्री पुन्नूस :** १९५२–५३ में इस प्रकार की कितनी पूछताछ की गई थीं।

**सरदार मजीठिया :** १९५१ से १९५३ तक सेना के अन्य पदों के विषय में कुल संख्या १५६ थी। नौसेना के विषय में एकाध जांच भले ही हुई हो, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं है। यही बात वायुसेना के विषय में भी है।

**श्री पुन्नूस :** इस पूछताछ का उत्तर देने में मध्यमानत: कितना समय लगता है ?

**सरदार मजीठिया :** मध्यमान समय बता सकना कठिन है। संख्या मेरे पास नहीं है। पर जानकारी यथासंभव शीघ्र दे दी जाती है।

**श्री पुन्नूस :** क्या इस पूछताछ का पूरा पूरा और समय से उत्तर देने के लिए कोई पृथक् संगठन-विशेष है।

**सरदार मजीठिया :** हां, वह तीनों सेनाओं के प्रधान केन्द्रों में है।

**उच्च न्यायालय के न्यायाधीश**

*४७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाग ख राज्यों के उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये एकरूप पेन्शन, छुट्टी यात्रा भत्ता आदि के नियमों के विषय में भारत सरकार जिन अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंची है, क्या उनको राज्य-सरकारों के पास परिचालित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) हां ।

(ख) एक राज्य सरकार को छोड़कर, जिसने कुछ संशोधन सुझाए हैं, वे प्रस्ताव सभी राज्य सरकारों द्वारा मान लिए गए हैं ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** सरकार इन नियमों को अंतिम रूप कब देगी ?

**डा० काटजू :** बहुत शीघ्र ही ।

**राज्य वित्त निगम**

*४७१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री २९ अप्रैल, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२५६ के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ द्वारा अपेक्षित राज्य वित्त निगम उसके बाद कितनी राज्य सरकारों ने बनाये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य की पृथक् पृथक् अधिकृत तथा प्रार्थित पूंजी कितनी कितनी है; तथा

(ग) पंजाब वित्त निगम द्वारा किए गए सौदों की अद्यतन राशि ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) पंजाब सरकार के साथ साथ सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन सरकारों ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ के अधीन राज्य वित्त निगम स्थापित किए हैं ।

(ख) दोनों निगमों की अधिकृत पूंजी दो करोड़ रुपए निश्चित की गई है । पहले एक करोड़ रुपए की पूंजी निर्गमित करना चाहते हैं ।

(ग) राज्य वित्त निगम संबंधित राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं और भारत सरकार को इस जानकारी के विषय में कोई विवरण प्राप्त नहीं होते ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** विगत सत्र में हमें बताया गया था कि छः राज्य सरकारें राज्य वित्त निगम बनाने का प्रयत्न कर रही हैं । मैं जान सकता हूं कि अन्य चार उनकी स्थापना क्यों नहीं कर रही हैं —उन्हें क्या कठिनाई हो रही है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** प्रायः सभी राज्य अपने वित्त निगम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार ने उनके पास एक पत्र भेजा है जिसमें इन वित्त निगमों को शीघ्र ही स्थापित करने के लिए कहा गया है और यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्रकट करने के लिए कहा गया है । पर मैं नहीं कह सकता कि अन्य राज्य सरकारों ने उनका संगठन अब तक क्यों नहीं किया है ।

**श्री टी० एन० सिंह :** इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया है कि पंजाब वित्त निगम के सौदों के विषय में भारत सरकार को कुछ पता नहीं है । क्या सरकार यह अपना कर्त्तव्य नहीं समझती कि केन्द्रीय सरकार से अंशतः धन प्राप्त करने वाले इन राज्य वित्त निगमों के कार्यों की समय समय पर जांच करती रहे?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

**श्री पुन्नूस :** क्या केन्द्रीय सरकार इन वित्त निगमों की स्थापना के विषय में राज्यों को कुछ परामर्श देती है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मैं ने बताया कि हमने राज्य सरकारों को पत्र भेजा है और वे कठिनाइयां पूछी हैं, जो उनको इनकी स्थापना में हो रही हों ।

**श्री बी० दास :** क्या रक्षित बैंक अधिनियम, या अपने नियमों और उपनियमों के अधीन इन राज्य वित्त निगमों या भारत सरकार के औद्योगिक वित्त निगम के ऊपर कुछ नियंत्रण रखता है और इन सभी संगठनों में एक रूपता रखने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** ये वित्त निगम इस संसद् के एक अधिनियम के अधीन बनाए जा रहे हैं और उस अधिनियम के अनुसार रक्षित बैंक उस संगठन का एक अंशभाजक है और उसके नामनिर्देशित संचालक भी होते हैं । इस प्रकार इन संगठनों पर रक्षित बैंक का कुछ अधिकार है और इन संगठनों की कार्य-प्रणाली की ठीक ठीक स्थिति जानने की पर्याप्त शक्ति उसे मिली हुई है ।

**श्री टी० एन० सिंह :** इन राज्य वित्त निगमों के लेखाओं का परीक्षण कौन करता है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । ये सब बातें दो वर्ष पहले सदन द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा विनियमित होती हैं ।

### टेकनीकल सहायता कार्यक्रम

***४७२. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सच है कि सं० रा० संघ के टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम से प्रत्याशित धन के न मिलने के कारण कुछ परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ रहा है ?

**वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) :** पूंजी सहायता सं० रा० संघ के टैकनीकल सहायता कार्यक्रम का अंग नहीं है । कार्यक्रम मुख्यत: पारिषघता (फैलोशिप) और छात्रवृत्तियों के उपबन्धों और विशेषज्ञों की सेवाओं और सहायक सामग्री तक ही सीमित है । इस दिशा में कुछ आवेदनों को अस्वीकृत या स्थगित कर देना पड़ा है । क्योंकि कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धन में वर्तमान वर्ष में कुछ कटौती हुई है ।

**श्री झूलन सिन्हा :** मैं जान सकता हूं कि यह कटौती क्यों हुई है ?

**श्री बी० आर० भगत :** श्रीमान्, मैं नहीं जानता ; इस प्रश्न का संबन्ध सं० रा० संघ से है ।

**श्री एन० एम० लिंगम् :** मैं जान सकता हूं कि वर्तमान वर्ष में भारत द्वारा इस निधि में क्या कुछ अंश दिया गया है और कि दिया गया है तो कितना ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** २५०,००० डालर : कोई कमी नहीं हुई ।

### जड़ी बूटियां

***४७४. ठाकुर लक्षमण सिंह चरक :** **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के बीच काश्मीर राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** गत वर्ष जम्मू तथा काश्मीर राज्य के भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार काश्मीर राज्य वन विभाग

द्वारा प्रभाणित दवाओं में काम आने वाली वास्तविक जड़ी बूटियों को खरीदकर जड़ी बूटियों के विकास को प्रोत्साहन दे। उसको यह उत्तर भेजा गया था कि भारत सरकार स्वंय कोई यूनानी या आयुर्वेदिक संस्था नहीं चलाती जहां इन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जा सके, किन्तु जम्मू तथा काश्मीर सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह स्वास्थ्य सेवाओं के महान् संचालक और रसद तथा उत्सर्जन विभाग के महासंचालक को उपलब्ध जड़ी बूटियों तथा उन के दामों की एक सूची भेजे। इस विषय में कोई और बात-चीत नहीं हुई है।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** इस मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

**डा० काटजू :** और कोई प्रगति नहीं हुई।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था ने इस मामले में कोई जांच की है और क्या उसे इसकी सूचना दी गई है ?

**डा० काटजू :** मैं सम्बध अधिकारियों को यह बात बता दूंगा। किन्तु मैं समझता हूं कि यह जड़ी बूटियां दवाई में प्रयोग करने के लिये नहीं रखी गई थीं।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या यह ठीक है कि ये जड़ी बूटियां हिमालय में टिहरी गड़वाल में भी मिल सकती हैं ?

**डा० काटजू :** सम्भवतः यह बात ठीक हो।

**श्री पुन्नूस :** क्या इस बात की खोज करने का कोई विचार है कि ऐसी जड़ीबूटियां भारत के सब भागों में, उदाहरणार्थ त्रावण-कोर-कोचीन में भी मिल सकती हैं ?

**डा० काटजू :** मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा।

**बीकानेर में सामरिक महत्व की सड़क**

*४७५. **श्री अजित सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के दिल्ली डिवीज़न द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप एक सामरिक महत्व की सड़क बनाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है और जिसकी जांच दिल्ली शाखा की स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट द्वारा की गई थी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) एक मिलिटरी कोर्ट ने इसकी जांच की ; इस मामले में जो अपराधी थे उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था।

**श्री अजित सिंह :** मैं जान सकता हूं कि यह रिपोर्ट स्पेशल पुलिस को कब की गई थी और स्पेशल पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट कब समाप्त की थी ?

**श्री दातार :** इन तारीखों के बारे में मुझे पता नहीं है।

**श्री अजित सिंह :** इस मामले में कौन कौन से अधिकारी तथा ठेकेदार शामिल थे ?

**श्री दातार :** तीन अधिकारी और एक ठेकेदार था। क्योंकि अभियुक्तों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है इसलिये उनके नाम बताना जन हित में न होगा।

**श्री अजित सिंह :** मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि स्पेशल पुलिस में रिपोर्ट कर देने के बाद सड़क का बचा हुआ भाग बना दिया गया था ?

**श्री दातार** : मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

**आन्ध्र राज्य के राज्यपाल का निवास स्थान**

*४७६. **श्री सी० आर० चौधरी** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र राज्य के राज्यपाल के निवास स्थान को सुसज्जित करने के लिये १,५०,००० रुपयों का अनुदान तथा राज्यपाल के कर्मचारी वर्ग के लिये दी गई एक और राशि ऋण के रूप में दी गई है या अनुदान है ?

(ख) क्या यह अनुदान नकद दिया गया है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) ये अनुदान ऋण के रूप में दिये गये हैं।

(ख) जी हां।

**श्री सी० आर० चौधरी** : मैं जान सकता हूं कि क्या सचिवालय के कर्मचारी वर्ग को भी ऐसी ही सुविधायें दी जायेंगी ?

**श्री दातार** : इसके सम्बन्ध में सरकार ने पहिले से ही राष्ट्रपति का आदेश जारी किया है । इसमें सब बातें विस्तार पूर्वक दी हुई हैं ।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या यह पूरी राशि सामान के लिये खर्च की जायगी अथवा कुछ राशि मकानों के लिये अलग रखी जायगी ?

**श्री दातार** : यह निश्चय करना राज्यपाल का काम है ।

**डा० लंका सुन्दरम्** : प्रश्न के भाग (क) के द्वितीय भाग के बारे में मैं यह सूचना चाहता हूं कि राज्यपाल के कर्मचारी वर्ग के लिये जो और राशि दी गई है क्या वह ऋण के रूप में है । क्या इसके हमें आंकड़े बताये जा सकते हैं ?

**श्री दातार** : ये आंकड़े तो सरकारी गज़ट में पहिले ही दे दिये गये हैं । मैं माननीय सदस्य का ध्यान १३ सितम्बर १९५३ को प्रकाशित हुए गज़ट की ओर दिलाता हूं ।

**डा० लंका सुन्दरम्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र राज्य के महामहिम राज्यपाल ने उस राज्य की आर्थिक स्थिति का विचार रखते हुए अपने वेतन में काफी कमी कर दी है, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान राजधानी अस्थायी रांजधानी है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि राजभवन को सुसज्जित करने के लिये यह १ १/२ लाख रुपये की बड़ी राशि आवश्यक थी ?

**श्री दातार** : सरकार ने राज्यपाल के लिये इस राशि को देना आवश्यक समझा ।

**खनिज पदार्थों पर अधिकार शुल्क**

*४७८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में खनिज पदार्थों पर अधिकार शुल्क के दरों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या किसी समिति को स्थापित करने से पूर्व सरकार ने राज्यों के विचार मालूम किये थे और इससे किन किन राज्यों का अधिक सम्बन्ध है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** :

(क) जी हां ।

(ख) खनिज पदार्थ मंत्रणा बोर्ड की ७ अगस्त, १९५३ को होने वाली बैठक में इसने जो सिपारिशें की थी यह समिति उनके अनुसार स्थापित की गई थी । इस बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्य इस बात से सहमत हो गये थे कि अधिकार शुल्क के दर को बढ़ा दिया जाय ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां, यही सब की राय थी ।

**श्री एम० डी० रामस्वामी :** मैं जान सकता हूं कि क्या इन दरों में परिवर्तन करने का उन विदेशी फर्मों के, जो खनिक कार्य कर रहे हैं, वर्तमान ठेकों पर प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जब इन दरों में परिवर्तन होगा तो इनका प्रभाव सभी पर पड़ेगा ।

**विदेशी भाषाओं का स्कूल**

*४७९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी भाषाओं के स्कूल में केवल सरकारी कर्मचारी ही पड़ सकते हैं ?

(ख) सितम्बर, १९५३, इस स्कूल में कितने व्यक्ति पड़ रहे थे ?

(ग) जब से यह स्कूल चलाया गया था उस समय से अब तक कितने व्यक्ति पड़ चुके हैं ?

(घ) क्या इस स्कूल के नियमों तथा विनियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** सामान्यतया इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रविष्ट हो सकते हैं, किन्तु यदि इसमें जगह हो तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं वे भी सीमित संख्या में प्रविष्ट हो सकते हैं ।

(ख) ३२५ ।

(ग) १५४४ ।

(घ) स्कूल के विवरण पत्रिका की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है, **देखिये संख्या ५, एस, १८३।५३**]

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** मैं जान सकता हूं कि सितम्बर १९५३ में इस स्कूल में गैर सरकारी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

**श्री त्यागी :** मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या नहीं है ।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारत के गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये कुछ जगहों में कुछ प्रतिशतता निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

**श्री त्यागी :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस स्कूल में और अधिक गैर सरकारी व्यक्ति आयें । हम ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते ।

**श्री एन० एम० लिंगम् :** मैं जान सकता हूं कि इस स्कूल में कौन कौन सी भाषायें पढ़ाई जाती हैं ?

**श्री त्यागी :** इस समय फ्रेंच, जर्मन, चाईनीज़, पर्शियन, अरेबिक तथा इरानी पढ़ाई जाती है, और जापानी, बर्मीज़ तथा तिब्बतन भाषाओं के पढ़ाने का प्रबन्ध करने का विचार है जिसके लेक्चरारों के लिये विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये हैं ।

**अनुसूचित जातियों का कल्याण**

*४८०. **श्री नानादास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये अलग रखी गई चार करोड़ की राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; तथा

(ख) यह किस कार्य के लिये व्यय की गई है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) केन्द्रीय सरकार ने जो चार करोड़ रुपये अलग उठा कर रखे हैं उन्हें पिछड़े हुए वर्गों पर व्यय करने का विचार है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा भूतपूर्व जरायमपेश आदिमजातियां शामिल हैं किन्तु इनमे अनुसूचित आदिमजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिनके लिये संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत अलग से व्यवस्था कर दी गई है । इन चार करोड़ रुपयों में से ५० लाख की राशि १९५३-५४ में राज्य सरकारों को सहायक अनुदान देने के लिये अलग उठा रखी गई है जिससे वह राशियां पूरी हो सकें जो कि राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के कल्याण पर व्यय की हैं । सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इसमें कुछ राशि सीधे अखिल-भारतीय संस्थाओं को दे दी जाये जिससे छुआछूत को हटाने के लिये, विशेषकर देश के ग्राम्य क्षेत्रों में, अधिक से अधिक प्रचार किया जा सके ।

(ख) केवल कुछ मामलों को छोड़कर, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं ने जिन से राशियों को व्यय करने के लिये योजनाएं बनाने के लिये कहा गया था, अपनी अपनी योजनाएं नहीं भेजी हैं ।

**श्री नानादास :** क्या इसमें से कोई राशि भूहीन किसानों को फिर से बसाने पर भी व्यय की जायेगी ?

**श्री दातार :** अधिकतर राशि छुआछूत को हटाने के सम्बन्ध में किये जानें वाले प्रचार पर व्यय की जायेगी । परन्तु भाग 'ख' तथा 'ग' राज्यों में यह राशि मकान सम्बन्धी योजनाओं तथा कुएं खोदने पर भी व्यय की जायेगी ।

**श्री के० के० बसु :** अलग उठा कर रखी गई इस ५० लाख रूपये की राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

**श्री दातार :** यह अभी तक व्यय नहीं की गई है ।

**श्री सी० आर० चौधरी :** इन विभिन्न संस्थाओं को जो राशियां नियत की जाती हैं क्या उनके व्यय पर नियंत्रण रखने की भी कोई व्यवस्था है ?

**श्री दातार :** राज्य सरकारें उचित नियंत्रण रखेंगी तथा लेखों की उचित लेखा-परीक्षा की जायगी ।

**श्री वीरस्वामी :** उन अखिल-भारतीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने ग्राम्य क्षेत्रों में छुआछूत मिटाने के लिये कार्य करने को कहा है ?

**श्री दातार :** मैंने अभी उसी दिन सदन में यह नाम बतलाये थे ।

**श्री एम० डी० रामस्वामी :** इस में से कितनी राशि पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षित बनाने पर व्यय की जायेगी ?

**श्री दातार :** इसका पिछड़े हुए वर्गों से कोई सम्बन्ध नहीं है ; यह अनुसूचित जातियों के लिये है । पिछड़े हुए वर्गों के लिये २० लाख रुपये की राशि अलग रख दी गई है ।

**आन्ध्र के लिये उत्पादन शुल्क सर्किल**

***४८१. श्री नानादास :** (क) क्या **वित** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र राज्य में कितने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सर्किल कार्यालय हैं ?

(ख) क्या आन्ध्र राज्य के लिये कोई पृथक केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलेक्टरेट खोलने का विचार है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) इस समय आन्ध्र राज्य में २३ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सर्किल कार्यालय हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

**कीमतों का उतार चढ़ाव**

*४८२. **श्री नानादास** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कीमतें बढ़ती जा रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) कीमतें बढ नहीं रही हैं ; बल्कि अगस्त, १९५३ के अन्त से थोक कीमतों की देशना में कमी होती जा रही है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री नानादास** : सरकार ने कीमतों में वृद्धि रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कीमतें बढ़ रही हैं ?

**श्री नानादास** : कीमतों को घटाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि सरकार ने कीमतों को घटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

**श्री बी० आर० भगत** : भारत सरकार की समस्त आर्थिक नीतियों का ही यह उपचित परिणाम है ।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

**श्री पुन्नूस** : श्रीमान्, एक प्रश्न ।

**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

**मध्य भारत विश्वविद्यालय**

*४८३. **श्री राधेलाल व्यास** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उन्होंने मध्य भारत से आने वाले संसद् सदस्यों तथा मध्य भारत के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित मध्य भारत विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय के स्थान के सम्बन्ध में मध्य भारत सरकार ही निश्चय करेगी तथा संघ सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह आश्वासन अब भी वैसा ही है ?

(ग) क्या यह आश्वासन उस विशेषज्ञ कमेटी तक पहुंचा दिया गया था जो नये विश्व-विद्यालयों के स्थापित किये जाने के प्रश्न पर विचार करती है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग) तक. जी हां, श्रीमान् ।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या सरकार को मालूम है कि मध्य भारत सरकार तथा मध्य भारत विधान-सभा १९५० में यह पहिले ही से निश्चित कर चुकी है कि मध्य भारत विश्व-विद्यालय उज्जैन में बनाया जाये ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद)** : मालूम हुआ है कि एसेम्बली में एक बिल पेश किया गया है यूनीवर्स्टी कायम करने के लिये। इस लिये गवर्नमेन्ट ने इसकी जरूरत समझी कि एक एक्स्पर्ट कमेटी बैठाई जाये और वह मालूम करे कि क्या वहां की हालत ऐसी है कि एक नई यूनीवर्स्टी कायम की जाये । अगर की जाये तो वह किस तरहकी यूनीवर्स्टी हो और उसके लिये कितनें खर्च की जरूरत है । चूनाचे कमेटी बैठाई गई और उसकी रिपोर्ट मिल गई । रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेन्ट को भेज दी गई है ।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यूनीवर्स्टी का स्थान तै करने के लिये मध्य भारत गवर्नमेन्ट और वहां की असेम्बली स्वतंत्र रहेगी ?

**मौलाना आज़ाद :** यकीनन । उनको पूरा अख्तियार है ।

**श्री राधेलाल व्यास :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक की गई है या नहीं । और अगर नहीं की गई है तो क्या उसकी एक कापी हाउस के टेबिल पर रखी जायेगी ?

**मौलाना आज़ाद :** छप गई है और पार्लियामेन्ट लाइब्रेरी में उसकी एक कापी मौजूद है ।

**श्री राधेलाल व्यास :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो कमेटी कायम की गई थी इस ने एक ही दिन की मीटिंग म अपनी रिपोर्ट दे दी है या कि इसने मध्य भारत में जाकर वहां के हालात का भी अध्ययन किया ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

**श्री जांगड़े :** क्या सरकार को ज्ञात है कि मध्य भारत के किसी महाराजा ने विश्व-विद्यालय स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपय का अनुदान दिया है ?

**मौलाना आज़ाद :** गवर्नमेन्ट के इल्म में बाकायदा यह चीज़ नहीं आई है । एक अफवाह सुनी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

**श्री राधेलाल व्यास** श्रीमान्, एक प्रश्न ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ४८४ ।

**श्री राधेलाल व्यास :** मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर मध्य भारत की विधान सभा में दिया जा चुका है ।

**अध्यक्ष महोदय :** कुछ भी हो, यह विरोध और बहस करने का अवसर नहीं है । दूसरा प्रश्न ।

**उच्चाधिकारी आयोग (आर्डनैन्स फैक्टरियां)**

*४८४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा प्रधान मंत्री ने इस वर्ष रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदान मांगों पर होने वाली बहस का उत्तर देते हुये कहा था क्या भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के लिये वस्तुयें तैयार करने के सम्बन्ध में आर्डनैन्स फैक्टरियों की अतिरिक्त क्षमता को उपयोग में लाये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये प्रस्तावित उच्चाधिकार आयोग बना दिया गया है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** कमेटी के सदस्यों को चुन लिया गया है तथा सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा करने की आशा रखती है । सरदार बलदेव सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा अन्य सदस्यों के नाम भी शीघ्र ही प्रकाशित कर दिये जायेंगे । कमेटी बनाने में देर इसलिये हुई क्योंकि अनेक व्यक्ति जिनसे इस कमेटी का सदस्य होने के लिये कहा गया था उन्होंने यह कह कर अपनी असमर्थता प्रगट की कि वे इस काम के लिये आवश्यक समय न दे सकेंगे और इसी लिये अन्य व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजने पड़े थे ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या सरकार ने इस आयोग में उन मज़दूरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है जो वास्तव में, इन आर्डनैन्स फैक्टरियों में काम करते हैं या उन व्यक्तियों को जिनमें मजदूरों को विश्वास है तथा जो इन फैक्टरियों के काम से भली भांति परिचित हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** यह कमेटी टेकनिकल बातों पर बिचार करेगी कि आर्डनैंस फैक्टरियों में लगे हुये प्लांट और मशीनों को प्रधिक से अधिक उपयोग में किस प्रकार

लाया जा सकता है । यदि आवश्यकता हुई तो मजदूरों के प्रतिनिधियों से अवश्य ही परामर्श किया जायेगा ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : इस आयोग के नियुक्त किये जाने में उन वास्तविक मजदूरों के अनुभव का लाभ क्यों नहीं उठाया जाता जो इन प्लांटों में काम करते हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उनके अनुभव से लाभ न उठाने की कोई बात नहीं है । प्रश्न है कि विभिन्न आर्डनैन्स फैक्टरियों के उत्पादन तथा असैनिक उत्पादन में किस प्रकार एक सूत्रता लाई जाये । यह केवल किसी एक फैक्टरी में उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । यदि ऐसा होता तो मजदूरों का अनुभव, निस्सन्देह, बहुत काम का होता । मेरे विचार में कार्य-संचालन की परीक्षा करने तथा उसमें असैनिक तत्व को लाने के सम्बन्ध में, मजदूर तो मजदूर प्रबन्धक भी अपने आप से किसी काम के नहीं हैं । उनसे परामर्श किया जा सकता है । सभी बातों पर विचार करना होता है । अतएव, बाहर से लोगों को नियुक्त किया जा रहा है जिनमें टकनिकल सलाहकार भी हैं जो मजदूरों, प्रबन्धकों तथा अन्य लोगों से परामर्श करेंगे ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में ह कि आर्डनैन्स फक्टरियों की चतिरिक्त उत्पादन क्षमता कितनी है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : प्रत्येक फैक्टरी की उत्पादन क्षमता अलग अलग है ।

**डा० राम सुभग सिंह**: कुल कितनी है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को बतलाने का कोई विशिष्ट तक तरीका नहीं है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मौखिक रूप से बतलाइये ।

**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

**सरकारी नौकरों का अभ्यावेदन**

*४८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, किन नियमों के आधीन, केन्द्रीय सरकार के दफतरों के नीचे दर्जे के कर्मचारियों द्वारा, ऊपर के अधिकारियों को, शिकायतों का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की परिभाषा की गई है ?

(ख) क्या इन नियमों में कोई ऐसी अवधि निर्धारित की गई है जिसके भीतर यह अभ्यावेदन उन अधिकारियों के पास भेज दिये जाने चाहिये जिन को कि वे सम्बोधित किये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो अतिशय विलम्ब की ऐसी दशाओं का निदान क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** :

(क) यह विषय कार्यपालिक आदेशों तथा बहुत दिनों से सुस्थापित व्यवहारों के आधीन हैं । सदन पटल पर १९५२ में जारी किये गये सुसंगत आदेशों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ख) चूंकि किसी अभ्यावेदन को निपटाने में तथा उसको आगे बढ़ाने में लगने वाला समय उस अभ्यावेदन की प्रकृत तथा सामग्री पर निर्भर करता है इसलिये प्रत्येक अभ्यावेदन के लिये एक निश्चित अवधि निर्धारित करना उचित नहीं है ।

(ग) ऊंचे दर्जे के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे इतनी सावधानी रखें कि अभ्यावेदन के निपटाने तथा उसे आगे बढ़ाने

में विलम्ब न होने पावे । इस के अतिरिक्त यदि ऐसा विलम्ब हो ही जावे तो जिन व्यक्तियों को शिकायतें रखना है वे सीधे सीधे उच्चतर अधिकारियों से हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध कर सकते हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि माननीय मंत्री बिलम्ब का क्या अर्थ लगाते हैं क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है कि बिलम्ब का क्या अर्थ है ? कार्य पालिका आदेशों में कोई भी अवधि नहीं दी गई है ।

**श्री दातार :** कोई अवधि निर्धारित करना संभव नहीं विचार किया जाता है । साधारण रूप से यह सभी अभ्यावेदन हमें समय से मिल जाते हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह तथ्य है कि कई बार ऐसे अभ्यावेदन छै मास तक और कभी कभी एक एक वर्ष तक रोक लिये गये हैं ?

**श्री दातार :** नहीं श्रीमान्, इतने समय तक कोई भी अभ्यावेदन रुका नहीं रहा है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मुझे जो बयान दिया गया है उस में कहा गया है कि संसद सदस्यों को अभ्यावेदन भेजना आपत्तिजनक व्यवहार समझा जाता है। क्या मैं जान सकती हूं कि इसका क्या कारण है जब हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं ?

**श्री दातार :** इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु पुराने गृह-कार्य मंत्रियों द्वारा इसका दो बार उत्तर दिया जा चुका है । संसद् सदस्यों को अभ्यावेदन भेजना आपत्तिजनक विचार किया जाता है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि इसका कारण क्या है, जब हम से कहा जा चका है कि हमें जनता की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मांगों के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है ?

**अध्यक्ष महोदय :** हम बहस में पड़ रहे हैं ।

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** क्या मैं हस्तक्षेप करके बता सकता हूं कि नीति सम्बन्धी सामान्य प्रश्नों में माननीय सदस्यों की सहायता से बहुत अधिक उपकार होता है परन्तु जहां तक किसी व्यक्ति विशेष की कठिनाईयों का प्रश्न हो, सम्भवत: मेरे मित्र मुझसे सहमत होंगे कि यही बात वांछनीय नहीं है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि यह कार्यपालिका आदेश कब निकाला गया था ? यह अन्ग्रेजी राज्य में निकाला गया था या तब से इस में कोई परिवर्तन किया गया है ?

**श्री दातार :** पहले यह आदेश १९३९ में निकाले गये थे परन्तु अब यह बिलकुल नये कर दिये गये हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि तब से कोई संशोधन किया गया है तथा वे संशोधन क्या हैं ?

**डा० काटजू :** मैं प्रयत्न करूंगा कि जहां तक संभव हो सके माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

### रक्षा सेवा कर्मचारी कालिज

*४८६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आठ विदेशी अफसर विलिंगडन स्थिति रक्षा सेवा कर्मचारी कालिज का इस वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं ?

(ख) यदि हां , तो उन में से प्रत्येक की राष्ट्रीयता क्या है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) हां, परन्तु उनकी संख्या नौ है आठ नहीं है ।

(ख) उनमें इगलैंड के चार अफ़सर हैं, बर्मा के दो, तथा अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा, प्रत्येक से एक एक ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या विचार यह है कि पाठ्य क्रम पूरा करने के पश्चात् वे भारतीय सेना में रख लिये जायेंगे ?

**श्री त्यागी :** नहीं श्रीमान् । यह अफ़सर विदेशी सेनाओं के हैं । इनको हमारी सेना में नहीं रखा जा सकता है ।

**श्री एन० एम० लिंगम् ।** क्या मैं शिक्षण प्राप्त करने वाले अफ़सरों की कुल संख्या, शिक्षण देने वालों की संख्या तथा शिक्षण देने वालों में विदेशियों की संख्या जान सकता हूं ?

**श्री त्यागी :** ९३ अफ़सर शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे खेद है कि शिक्षण देन वालों के आंकड़े मेरे पास अभी तैयार नहीं हैं ।

**श्री के० के० बसु :** क्या हम जान सकते हैं कि, शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्, विदेशी अफ़सर किसी न किसी रुप में हमारी सेना से सम्बद्ध रहेंगें ?

**श्री त्यागी :** यह अफ़सर, अधिकतर ऐसे अफ़सर हैं जो पारस्परिक आधार पर यहां शिक्षण प्राप्त करने आये हैं । यह शिक्षण प्राप्त करते हैं और वापस चले जाते हैं जैसे हमारे अफ़सर विदेशों को जाते हैं तथा शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् लौट आते हैं । यह शिक्षण देने का एक शिक्षण संस्थान है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम यह समझे हैं कि जब वे अपने देशों को जाते हैं तो जो कुछ उन्होंने सीखा है वे अपने देश की सेनाओं के लिये उसका प्रयोग करते हैं और हमारे देश की सेनाओं के लिये नहीं ।

**श्री त्यागी :** मेरा अनुमान है, हां । वे लौट कर जाते हैं और यहां प्राप्त किये हुये ज्ञान का प्रयोग अपने देश में करते हैं जैसे हमारे अफ़सर वहां जाते हैं तथा वहां के प्राप्त किये हुये ज्ञान को हमारे देश में प्रयोग में लाते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नों का घण्टा समाप्त हो गया ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### बम्बई स्थित नौसेना को जहाजी गोदियों का मामला

* ४४९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान, बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'करेण्ट' के ३० सितम्बर, १९५३ के संस्करण के प्रष्ट १० पर 'संघ उपमंत्री का पुत्र बरी कर दिया गया' शीर्षक से निकलने वाले संवाद की ओर दिलाया गया है तथा बतायेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि न्यायालय ने बम्बई स्थित नौसेना के जहाजी गोदियों में काम करने वाले एक सहायक नौसेना स्टोर अधिकारी की आलोचना की है ।

(ख) यदि हां, तो वह आलोचना क्या थी तथा यदि सरकार ने उस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** सरकार ने 'करेण्ट' साप्ताहिक के ३ अक्तूबर, १९५३ (न कि ३० सितम्बर, १९५३ जैसा प्रश्न किया है) के संस्करण उक्त संवाद प्रकाशित देखा है ।

(क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

### रद्दी अभ्रक

*४५८. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक

**अनुसन्धान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रद्दी अभ्रक को काम में लाने के लिये कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार इस रद्दी अभ्रक से बनाई जाने वाली ईंटो को इन्सूलेट करने की मांग को पूरा करने की स्थिति में है ?

(ग) यदि हां तो, इन ईंटों के लिये, आयात किये जाने वाले, कच्चे माल के क्रय में इस प्रकार होने वाली बचत, की धनराशि, कितनी है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद ):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्मीसुलाइट ईंटों की भारतीय आवश्यकता के सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है परन्तु आशा की जाती है कि अभ्रक की ईंटों द्वारा यह मांग पूरी की जा सकती है ।

(ग) आशा की जाती है कि अभ्रक की ईंटें वर्मीसुलाइट ईंटों की अपेक्षा अधिक सस्ती होंगी । बताया जाता है कि वर्मीसुलाइट आयात करने का व्यय पांच सौ रुपया प्रति टन होता है परन्तु ठीक ठीक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

**परिमाप शिक्षण स्कूल, देहरादून**

*४५९. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिमाप शिक्षण स्कूल देहरादून का वार्षिक व्यय कितना है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** गत तीन वर्षों में देहरादून में अफ़सरों को शिक्षा देने में निम्नलिखित व्यय किया गया है :–

| | रुपये |
|---|---|
| १९५०-५१ | २,०५,००० |
| १९५१-५२ | २,०१,२०० |
| १९५२-५३ . . . . | २,१६,३०० |

**जन-वास्तु विभाग पेप्सू**

*४६२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **राज्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि इस राज्य में, राष्ट्रपति का शासन पुनः स्थापित होने के पूर्व, उस राज्य के मंत्रालय द्वारा, जान-वास्तु-विभाग, पेप्सू में फैले हुये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच बैठाई गई थी ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रपति का शासन आरम्भ होने के पश्चात् यह जांच एक अन्य अफसर के सुपुर्द कर दी गई थी ?

(ग) इस समय यह जांच किस स्थिति में है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) एक मामला में जांच करने वाले अधिकारी ने अपनी जांच पूरी करली है तथा उसके प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त होने की अशा की जा रही है । अन्य मामलों में वे काग़ज़ात एकत्रित कर रहे है तथा जैसे ही यह कार्य समाप्त हो जायेगा वे अपना प्रतिवेदन भेज देंगे ।

**तिरूवांकुर कोचीन में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन**

* ४७३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **विधि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिरूवांकुर कोचीन राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कब समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : १ दिसम्बर, १९५३ के प्रथम सप्ताह तक तिरूवांकुर कोचीन राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ।

### रुई का करापवंचन

*४७७. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पूर्वी सीमा पर भारत से पाकिस्तान को एक बड़े पैमाने पर सूत का चौर्यानयन हो रहा है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं जिनसे प्रकट होता है कि कुछ समय से पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिली हुई सीमा के कुछ खण्डों पर भारत से पाकिस्तान को होने वाला सूत का चौर्यानयन बढ़ गया है ।

### आय-कर की पुनः प्राप्ति

*४८७. **श्री बी० के० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में लोक-मांग पुनः प्राप्ति अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर की पुनः प्राप्ति के कितने मामलों का निर्देश किया गया है ;

(ख) सन्निहित कुल धन राशि ;

(ग) वर्ष में उनमें से कितने मामलों का निपटारा किया गया था ;

(घ) इन मामलों को निबटाने में सन्निहित कुल धन राशि ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) २७,५३० ।

(ख) २५,०८,२५,०२९ रु० ।

(ग) ४,८८१ ।

(घ) १,१३,५४,९६० रु० ।

इन आंकड़ों में आसाम, तथा त्रिपुरा राज्यों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नहीं हैं ।

### त्यागी सूत्र

*४८८. **श्री भागवत झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा सेवाओं के पदाधिकारियों के लिय नये पेंशन संहिता के सम्बन्ध में 'त्यागी सूत्र' की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : यह सूत्र आज्ञप्त श्रेणी के नीचे तीन सेवाओं के कर्मचारियों की सेवा की पेंशन के संशोधित दरों में (सेना के जे० ओ० सी० को सम्मिलित कर) लागू होता है, जो ऐसे कर्मचारियों के लिये नई पेंशन संहिता के एक भाग के रूप में १ जून, १९५३ से जारी किये गये थे । सूत्र की मुख्य विशेषतायें ये हैं :-

(१) प्रत्येक श्रेणी तथा उसी श्रेणी में प्रत्येक ट्रेड ग्रुप के लिये न्यूनतम १५ वर्षों की क्वालीफाइंग कलर सर्विस के लिय पेंशन के तदर्थ दर निर्धारित कर लिये गये हैं ।

(२) १५ वर्षों से अधिक प्रत्येक वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस के लिये, पेंशन की समान दर के अतिरिक्त, जो पहले कई वर्षों की सेवा के पश्चात् दी जाती थी, अब उस पेंशन की दर में वृद्धि निश्चित कर दी गई है । वार्षिक वृद्धि की दर श्रेणी के अनुसार है ।

(३) तीनों सेवाओं में, वेतन के तुलनात्मक दरों के आधार पर पेंशन की दरों में भी यथा सम्भव समानता रखी गई है ।

### जापान में भारतीय कला प्रदर्शनी

*४८९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जापान में एक भारतीय कला प्रदर्शनी आयोजित

की गई थी और उसका उद्घाटन जापान के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जापान के किन नगरों में उक्त प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ; तथा

(ग) उक्त प्रदर्शनी का जापान की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) हां ।

(ख) टोकियो तथा ओसाका ।

(ग) प्रदर्शनी का जापानियों के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

**मनीपुर के लम्बूज**

*४९०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर की सरकार द्वारा साधारणतः 'लम्बूज़' कहां तथा किस प्रकार सेवा नियोजित किये जाते हैं ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि इन लम्बूज़ों को मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में उप-विभागीय पदाधिकारियों के न्यायालयों में दीवानी तथा फौज़दारी दोनों प्रकार के अभियोगों को करने का अधिकार प्राप्त है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) लम्बज़ साधारणतः मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ७५०० वर्ग मील से अधिक विस्तृत भाग में सेवा नियोजित किये गये हैं । इस क्षेत्र में पुलिस नहीं है व लम्बूज़ पुलिस के कार्य तथा राज्य के सूचना वाहकों अथवा चपरासियों का कार्य करते हैं; वे पहाड़ी न्यायालयों के द्विभाषियों के स्थान पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी का काय भी करते हैं । व सम्बन्धि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मकानों पर कर लगाने के लिये मकानों की संख्या भी गिनते हैं । उनका एक विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित स्थान है तथा पहाड़ियों में वे राज्याधिकारी समझे जाते हैं ।

(ख) नहीं ।

**राष्ट्रीय बाल सेना निकाय (बालिका विभाग)**

*४९१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार राष्ट्रीय बाल-सेना निकाय के बालिका विभाग को विस्तरित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो प्रस्ताव का अन्तिम निर्णय कब तक होगा तथा इसका विस्तरण कहां तक किया जायेगा ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) हां ।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय बाल-सेना निकाय यनिटों की संख्या बढ़ाने तथा उसको बनाये रखने पर होने वाले व्यय का अधिकतर अंश राज्य सरकारें देंगी, अतः बालिका विभाग की नई यूनिटें बढ़ाने का प्रश्न मुख्यतः इस कार्य के लिये राज्य सकारों द्वारा आवश्यक धन राशि उपलब्ध करने पर ही निर्भर करता है ।

**दक्षिणेश्वर मन्दिर के निकट सैनिक अड्डा**

*४९२. **श्री रामानन्द दास :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के २४ परगना ज़िले के दक्षिणेश्वर की जनता का कोई अभ्यावेदन दक्षिणेश्वर मन्दिर के निकट सैनिक अड्डे पर आपत्ति प्रकट करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो जनता के कष्टों का निवारण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि अधियाचित भूमि के मालिकों का न तो भुगतान किया गया है न क्षति-पूर्ति की गई है और न भूस्वामियों को उनकी भूमि ही वापस दी गई है ?

(घ) सरकार को देय निश्चित करने तथा भूमि को उनके मूलस्वामियों को वापस लौटाने में कितना समय लगेगा ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उनकी आपत्तिजनक बातों को दूर करने की दृष्टि से प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया गया है ।

(ग) तथा (घ). अधियाचित भूमि के लिये आवर्तक मुवाजा ३० जून, १९५२ तक मालिकों को दे दिया गया था तथा बाद के समय का भुगतान करने का प्रबन्ध सम्बन्धित कलक्टर द्वारा किया जा रहा है । अधियाचित भूमि, जिसकी भारत सरकार को आवश्यकता नहीं है, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को किसी प्रकार बसाने तथा मूल भू-स्वामियों की भूमि छुड़ाने का प्रश्न, कितनी शीघ्र विस्थापितों को उस भूमि से हटा दिया जाता है, मुख्यतः इस पर निर्भर करेगा ।

### तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

*४९३. **सेठ अचल सिंह :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में आगरा जिले में कितने बीघों में कितनी तम्बाकू की खेती की गई थी ?

(ख) इस पर उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गई थी ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) तथा (ख). एक तालिका वांछित सूचना सहित सदन पटल पर रखी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

### नागा राष्ट्रीय परिषद

*४९४. **श्री कासलीवाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागा राष्ट्रीय परिषद के कुछ नेता अभी कुछ समय से अपने को राज्य विरोधी तथा भारतीयता-विरोधी प्रचार में फंसा रहे हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** हां, श्रीमान् ।

### निर्वाचन सम्बन्धी झगड़े

*४९५. **डा० एन० बी० खरे : क्या** विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत के महा अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन न्यायाधिकरण के विशेष छुट्टी के निर्णय के विरोध में प्रार्थी के लिये उपस्थित हुये थे ?

**विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) :** हां ।

### लारेंस स्कूल लवडेल

*४९६. **श्री एन० एम० लिंगम् :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री लारेंस स्कूल लवडेल के पिछले प्रत्येक तीन वर्षों में जूनियर कैम्ब्रिज तथा सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षाओं में भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये छात्रों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) स्कूल के निरीक्षण पदाधिकारी कौन कौन से हैं ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख) एक तालिका सदन पटल पर

रखी है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]

**अमेरिकी गेहूं ऋण**

*४९७. **श्री के० के० बसु :** क्या **वित्त** मंत्री अब तक अमरीकी गेहूं ऋण के लिये भुगतान की गई कुल धन राशि बताने की कृपा करेंगे ;

(ख) इसका भुगतान किस प्रकार किया गया था ?

(ग) ब्याज की दर क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष तक ४,६५६,७३६.९६ डालर ।

(ख) भुगतान इन्डिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन के नकद अवशेष में से डालरों में किया गया था ।

(ग) ब्याज २½ प्रतिशत वार्षिक है ।

**तुंगभद्रा परियोजना के लिये हैदराबाद को ऋण**

*४९८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद की सरकार ने अक्टूबर १९५३ में पंचवर्षीय योजना के अनुसार तुङ्गभद्रा (सिंचाई) परियोजना के संबंध में विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ऋण की मांग की है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो मांग की गई धन राशि तथा स्वीकृत हुई धन राशि ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस हिसाब के लिये एक करोड़ रुपये के लिये भुगतान करने की मांग की गई थी जो स्वीकृत हो गई है ?

**अम्बरनाथ आयुध निर्माणशाला**

*४९६. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि नवम्बर, १९५३ के द्वितीय सप्ताह में अम्बरनाथ आयुध निर्माणशाला व मशीन औज़ार तथा प्रोटोटाइप निर्माणशाला के लगभग तीन हजार कर्मचारी हड़ताल पर थे ?

(ख) हड़ताल का कारण क्या था ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) ८ नवम्बर को प्रातः आयुध निर्माणशाला अम्बरनाथ के अधिकतर औद्योगिक कर्मचारियों ने एक काम रोको हड़ताल की थी जो सारे दिन चलती रही । अनुमानतः १० प्रतिशत लोग अपने अपने सामान्य स्थान पर थे । मशीन औजार प्राटोटाइप निर्माणशाला, अम्बरनाथ में बाद को उसी दिन हड़ताल फैल गई थी तथा प्रविधिक विकास स्थापना में दूसरे दिन । काम रोको हड़ताल ९ नवम्बर को जारी रही तथा चूंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखलाई पड़ा इस कारण १० नवम्बर को ताला लगा देने की घोषणा कर दी गई थी ।

(ख) रक्षा कर्मचारियों की ओर से दिए गए एक वचन पर ताला लगा देना बन्द कर दिया गया ।

(१) कर्मचारी निर्माणशाला में आने तथा कार्य करने के लिये उत्सुक थे;

(२) कि उन्होंने निर्माणशाला के नियमों का पालन करने की सहमति दी थी ; तथा

(३) कि संघ तथा यूनियन ने वचन दिया था कि ये भविष्य में अनधिकृत रोकों तथा सामान्य कार्य में विघ्नों को रोकने के लिये अपने सारे प्रभाव का उपयोग करेगी ।

ये आश्वासन दिये जाने पर यह निश्चय हुआ था कि श्री आर० एम० चटर्जी को अर्जित अवकाश दिया जायेगा जिससे कि वह अपने हस्तांतरण के संबंध में उच्च अधिकारियों के पास प्रतिनिधित्व कर सकें। ताला बन्द करना इसके पश्चात् समाप्त कर दिया गया था।

**दिल्ली बिजली संभरण तथा भाप कम्पनी के विरुद्ध कर का दावा**

*५००. **श्री बंसल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली बिजली सम्भरण तथा भाप कम्पनी के विरुद्ध कर के दावे के सम्बन्ध में भारत सरकार के कृत्य पर लन्दन कोर्ट आफ अपील का निर्णय; और

(ख) कर की कितनी रकम का झगड़ा था ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) निर्णय यह है कि अपील खर्च समेत रद्द कर दी गई।

(ख) १६,२१,९६६ रुपये।

**कोरिया में गढ़वाल रेजमेंट**

२४६. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अभिरक्षा कटक में कोरिया में कोई गढ़वाली रजमेंट भी भेजी गई है; और

(ख) अभिरक्षा कटक में कमीशन प्राप्त तथा गैर-कमीशन वाले प्राधिकारियों की संख्या तथा पद ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) हां, ३ गढ़वाल राइफल्ज़ (ख) कोरिया

(ख) कोरिया में अभिरक्षा कटक की शक्ति इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (१) प्राधिकारी | १६८ |
| (२) जे० सी० ओज़ | १९६ |
| (३) एन० सी० ओज़ | ८२५ |
| (४) ओ० आर० एस० | ४६९६ |
| कुल | ५८८५* |

*में बेस लेखा के ६६ कर्मचारी सम्मिलित हैं।

**आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० प्राधिकारी**

२४७. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पास आई० सी० एस० तथा आई ए० एस० प्राधिकारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची तैयार है ?

(ख) क्या सरकार सचिवों, उप सचिवों, अवर सचिवों तथा सहं-सचिवों की वरिष्ठता सूची भी रखती है ?

(ग) क्या एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची के आधार पर होती है, अथवा एक विशिष्ट मंत्रालय की वरिष्ठता पर ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति अखिल भारतीय तथा दूसरी सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले अनिवार्य अनुभव वाले प्राधिकारियों के बीच चुनाव द्वारा होती है।

**राजस्थान में आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० प्राधिक**

२४८. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में आई० ए० एस०

और आई० पी० एस० प्राधिकारियों की शक्ति ;

(ख) पहले से ही राज्य में काम करने वाले प्राधिकारियों के बीच से आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिये चुने गये प्राधिकारियों की कुल संख्या ;

(ग) राज्य में वर्तमान प्राधिकारियों को इन पदों की श्रेणियों पर लगा चुकने के पश्चात क्या आई० ए० एस० और आई० पी० एस० सेवाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ती की जा चुकी है; और

(घ) क्या आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के वेतन स्तर इन श्रेणियों के लिये चुने गये प्राधिकारियों पर लागू किये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) इस समय राजस्थान में ३२ आई० ए० एस० और २४ आई० पी० एस० प्राधिकारी काम कर रहे हैं ।

(ख) आई० ए० एस० ११

आई० पी० एस० ५

(ग) इनमें से कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति आकस्मिक भर्ती और गत कई वर्षों के बीच हुई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर हुई है । । बाकी कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होगी और कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति राज्य सेवाओं में पहले से काम करने प्राधिकारियों की नियुक्ति द्वारा की जायेगी ।

(घ) जी हां, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० सेवाओं के सम्बन्ध में ।

### उदयपुर में दलदल वाली भूमि

२४९. **श्री वीरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर विभाग में विभिन्न दलदल वाली भूमि में कृष्यकरण का काम प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में पानी निकालने वाले फाटकों समेत दो दरवाजे बनाने के सम्बन्ध में जांच सफल हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दरवाजों को बनाने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) आसाम के सिंचाई प्राधिकारी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था और सुझाव किया था भूमि-कृष्य-करण काम प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथमतया अनुसंधानीय परिमाप किया जाना चाहिये । शीघ्र ही परिमाप कार्य शुरू किया जायेगा ।

(ख) ऊपर (क) में वर्णित स्थिति की दृष्टि से अब तक कोई जांच नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### कृत्रिम वर्षा करना

२५०. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत कामनवैल्थ के दूसरे देशों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रहा है, जो कृत्रिम रूप से वर्षा करने के प्रयोग कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या जानकारी प्राप्त की गई है और दी गई है ?

(ग) क्या कलकत्ता में किये गये प्रयोग की अपेक्षा कोई और प्रयोग भी किये जा र हैं ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री ( मौलाना आजाद )** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी समेत विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता

है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]

### पेप्सू में सेवाओं के नियम

२५१. श्री अजित सिंह : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैप्सू सरकार के अधीन सब सेवाओं के लिये सेवा नियमों की भर्ती की शर्तें बना ली हैं ; अथवा बनाने का विचार रखती है ; और

(ख) क्या इनमें से कोई नियम पूर्ण बन चुका है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) तथा (ख). पैप्सू सरकार ने पहले से ही पटियाला यूनियन प्रशासन सेवा, सचिवालय सेवा, पैप्सू विधान सभा सचिवालय पटियाला यूनियन (घोषित उद्योग) सेवा श्रेणी द्वितीय लीगल रिमेंबरेंस का कार्यालय, पैप्सू जेल सेवा, और पैप्सू पुलिस क्लर्क सेवा की भर्ती के लिये नियम बना लिये थे । अधीनस्थ राजस्व विभाग के कर्मचारियों, अर्थात पटवारी, तहसीलदार आदि, जेलों के सुपरिण्टेन्डेंट, डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट तथा असिसटेंट सुपरिण्टेंडेंट, और पैप्सू पुलिस के कर्मचारियों की भर्ती के समबन्ध में सरकार ने समीपवर्ती पंजाब राज्य में लागू नियमों को अपना लिया है । शेष सेवाओं के नियम बनाये जा रहे हैं और यथाशीघ्र राज्य सरकार उनको जारी करेगी ।

### फौजी सामान के कारखाने

२५२. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने फौजी सामान के कारखाने चल रहे हैं ?

(ख) क्या ये कारखाने रक्षा की आवश्यकताओं को छोड़ कर दूसरा सामान भी बना रहे हैं, जो नागरिकों में बिकता है ?

(ग) यदि ऐसी बात है, तो इन कारखानों में क्या सामान बनाया जाता है ?

(घ) इन में से प्रत्येक कारखाने में कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) २०.

(ख) जी हां, रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् जिस सीमा तक अतिरिक्त शक्ति उपलब्ध हो सकती है, और इस शक्ति को लगाने के लिये आदेश प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के अन्दर सरकारी विभागों, व्यापार साथों, और गैर सरकारी व्यक्ति-समूहों के लिये इन फौजी सामान के करखानों में तैयार की गई अधिक महत्व वाली वस्तुओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]

(घ) विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]

### समुद्र यात्रा भत्ता

२५३. श्री नानादास : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नौ सेना के व्यक्तियों को जब वे जहाज की यात्रा कर रहे थे, समुद्रयात्रा भत्ता दिया गया था ?

(ख) इस प्रकार का भत्ता देने के क्या कारण थे ?

(ग) क्या यह अब भी जारी है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** (क) जी हां ।

(ख) भारतवर्ष से बाहर काम करने वाले नौ सेना के व्यक्तियों को भारत से बाहर काम करने वाले सेवा के कर्मचारियों को

इसी प्रकार के दिये जाने वाले भत्ते के अनुसार विदेश भत्ता दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में यह दिया जाता है, वे निम्न हैं—

(१) रेखा के पूर्व—२०′ ४५′ उत्तर देशांतर ९२′ २१′ दक्षिण से अक्षांश १५° उत्तर तब पूर्व से देशांतर ९५° पूर्व वहां से दक्षिण से भूमध्य-रेखा,

(२) भूमध्य-रेखा के दक्षिण,

(३) ६०° पूर्व के खमध्य रेखा के पश्चिम दक्षिण की ओर इतनी दूर जितनी दूर भूमध्य-रेखा।

ऊपरी वर्णित समुद्रीय क्षेत्र उस सीमा से बाहर हैं, जिसमें भारतीय नौ सेना के जहाज साधारणतया घूमते हैं और अपना सामान्य काम करते हुए यात्रा करते हैं।

(ग) जी हां।

### एम० ई० एस० कर्मचारी

**२५४. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पहली अक्तूबर, १९५३ को एम० ई० एस० के औद्योगिक तथा अनौद्योगिक उन कर्मचारियों की संख्या—

(१) जिनका वेतन अभी तक विहित वतन वर्गों के अनुसार निश्चित नहीं किया गया है;

(२) जिनको तीन वर्ष से अधिक समय से वार्षिक वृद्धि नहीं दी गई है;

(३) जिनको एक वर्ष से अधिक समय से वार्षिक वृद्धि नहीं दी गई है; तथा

(ख) सरकार को लेख्यों को मुकम्मल करने तथा बकाया का शोधन करने के विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया):** (क) (१) ४१४९

(२) २८५०

(३) ८८७।

औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों के बारे में पृथक् पृथक् आंकड़े इस समय प्राप्य नहीं। यह इकट्ठे किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखे जायेंगे।

(ख) जो कर्मचारी उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे जो अब पाकिस्तान में हैं, उनके बारे में पाकिस्तान से लेख्य प्राप्त करने के निमित्त निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है। सम्बन्धित कर्मचारियों को भी सलाह दी गई है कि वह अस्थायी रूप से वेतन को निश्चित करने के निमित्त संलग्न साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेख्योंको मुकम्मल करने तथा दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी लगाये गये हैं।

### टाइगर माथ विमान-ध्वंस

**२५५. श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वायुसेना अकादमी, हैदराबाद के एक टाइगर माथ विमान का २५ सितम्बर, १९५३ को ध्वंस हुआ ?

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) २४ सितम्बर, १९५३ को बेगमपेत के स्थान पर वायुसेना अकादमी, हैदराबाद के एक टाइगर माथ विमान की दुर्घटना हुई। दुर्घटना उस समय हुई जब कि एक शिक्षक विमानचालक फ्लाइंग कादेत सईद अमीर चक्कर काटने तथा अवतरण का अभ्यास कर रहे थे। मुझ सदन को यह

बताने में खुशी है कि कादेत को चोट नहीं आई ।

(ख) जांच न्यायालय की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**विजय मंडल (मध्य भारत)**

२५६. **श्री वी० जी० देशपांडे :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य भारत में भीलसा स्थान में स्थित विजय मंडल नामक भवन का मसजिद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) क्या सरकार को इस बात को रोकने के निमित्त कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि भूतत्व विभाग द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने से पूर्व भी इस भवन का मसजिद के रूप में प्रयोग किया जाता था । यह विभाग प्रचलित प्रयोग तक तथा अधिकारों में हस्ताक्षेप नहीं करता ।

**वैज्ञानिक मंत्रणादाता रक्षा मंत्रालय**

२५७. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक मंत्रणादाता से संलग्न कर्मचारियों में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन-वर्ग क्या है ?

(ख) उनकी संख्या में आगामी वर्ष में कितनी वृध्दि सम्भव है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) पदाधिकरी वेतन-वर्ग वैज्ञानिक मंत्रणादाता २०००-१००- २५०० रुपये

(इस समय इस पद पर नियुक्त पदाधिकारी अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं)

| | |
|---|---|
| उप-मुख्य वैज्ञानिक पदाधिकारी | १३००-६०-१६००-१००-१८०० रुपये |
| रजिस्ट्रार | ९००-५०-१,१५० रुपये |
| उच्च वैज्ञानिक | ६००-४०-१०००-५०/२-११५० रुपये |
| निम्न वैज्ञानिक | २७५-२५-५०० रुपये |

(ख) नौसेना सम्बन्धी कार्य के लिये एक प्रधान वैज्ञानिक पदाधिकारी (वेतन वर्ग १०००-५०-१४०० रुपये), दो उच्च वैज्ञानिक तथा १२ निम्न वैज्ञानिक भर्ती होने वाले हैं । वायुसेना सम्बन्धी कार्य के लिये एक और प्रधान वैज्ञानिक पदाधिकारी, दो उच्च वैज्ञानिक तथा ६ निम्न वैज्ञानिक आगामी वर्ष में भर्ती किये जाने की आशा है ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१ दिसंबर, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

पांचवा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

## लोक सभा

मंगलवार १ दिसम्बर १९५३

---

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे ]

### प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

**२-३० म० प०**

### अनुपस्थिति की अनुमति

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे श्री बनर्जी का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्हों ने लिखा है कि वह रक्तचाप से पीड़ित हैं और डाक्टर ने उन्हें मिदनापुर से बाहर न जाने की सलाह दी है । अतः उन्हों ने लोक सभा के इस सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है ।

क्या सदन श्री बनर्जी को वर्तमान सत्र की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देता है ?

**माननीय सदस्य** : हां ।

अनुमति दे दी गई ।

---



### पटल पर रखे गये पत्र

**परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या ३**

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)**: परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के आधीन, मैं पटल पर दिनांक १३ नवम्बर, १९५३ के भारत-गजट, असाधारण, भाग २, खण्ड ३ में प्रकाशित परिसीमन आयोग, भारत, के अन्तिम आदेश संख्या ३ की एक प्रतिलिपि रखता हूं । [**पुस्तकालय में रख दी गई देखिए संख्या एस—१८२/५३**]

---

### कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

**खण्ड १६—(१९५२ के अधिनियम १९ की धारा १७ के स्थान पर नई धारा का जोड़ा जाना)**

**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

खण्ड २ से १५ निबटाये जा चुके हैं । खण्ड १६ पर विचार हो रहा था ।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम): खण्ड १५ पर सदस्यों के मत नहीं लिये गये थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : संसदीय अभिलेख से स्पष्ट है कि खण्ड १५ पारित हो गया था ।

**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : कल वह अपने संशोधन पर बोल रहे थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : अतः अब मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

**श्री आबिद अली** : अन्य और संशोधन भी हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : सभी संशोधन प्रस्तुत किये जा चुके थे ।

**श्री आबिद अली**: यह संशोधन विधेयक के उन शब्दों से सम्बन्धित है जिन में कहा गया है कि यदि लाभ कम नहीं हैं, तो विमुक्ति दी जा सकती है, परन्तु यदि मजदूरों के लाभ कम हैं, तो विमुक्ति नहीं दी जा सकती । माननीय सदस्य का कहना है कि हम मजदूरों के अधिकार छीन रहे हैं और उन के विशेषाधिकारों को कम कर रहे हैं । किन्तु मैं मूल अधिनियम, धारा १७ (क), की पंक्ति ८ के निम्नलिखित शब्दों की ओर उन का ध्यान आकर्षित करता हूं : "सामान्य रूप से जो कर्मचारियों के लिये इस अधिनियम में उपबन्धित लाभों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं हैं" । हम इन को वैसे ही रख रहे हैं जैसे कि वे स्वयं अधिनियम में हैं और पहले वाले भाग को हटा रहे हैं जो, उन पंक्तियों के कारण जो मैं ने अभी पढ़ीं, फालतू हैं । अतः कोई परिवर्तन नहीं है और न विशेषाधिकारों में कमी हो रही है । मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब इन संशोधनों को अलग अलग प्रस्तुत करता हूं । यदि मैं सभी संशोधनों को एक साथ रखता हूं, तो मतदान में गड़बड़ी होगी । माननीय सदस्य सूचियों में देख लें । सूची संख्या १ का संशोधन संख्या १० वही है जो सूची संख्या २ का संशोधन संख्या २१ है ।

इस के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने उक्त संशोधनों को प्रस्तुत किया, जो अस्वीकृत हुए ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

**खण्ड १७—(१९५२ के अधिनियम १९ की धारा १९ के स्थान पर नई धारा को रखना)**

**अध्यक्ष महोदय** : इस खंड के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं इस पर सदन का मत लेने के लिये इसे प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

'कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

**खण्ड १८—(१९५२ के अधिनियम १९ की अनुसूची का संशोधन)**

श्री टी० बी विट्ठल राव ने पृष्ठ ७ की पंक्ति ५० से संबंधित दो संशोधन प्रस्तुत किये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मूल अधिनियम में उपबंध "निर्माण अथवा उत्पादन" था और इस संशोधक विधेयक में "उत्पादन" शब्द हटाया जा रहा है । इस का अर्थ यह हुआ कि इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से कोयले की तथा सोने की खानें तथा उन का उत्पादन बाहर किया जा रहा है । कोयले की खानों में ३,२५,००० मजदूर काम करते हैं ।

मैं यह जानता हूं कि एक कोयला खदान भविष्य निधि योजना भी है, परन्तु उस में जो व्यवस्था है वे उतनी अनुकूल नहीं है जितनी कि इस अधिनियम के आधीन है। इस निधि में वे लोग केवल अपनी मूलभूत मजदूरी में से अंशदान दे सकते हैं। मंहगाई भत्ता अथवा सस्ती दर पर अन्न देने से होने वाली बचत में से कोई कटौती नहीं की जाती। ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक दूसरे अधिनियम में अर्थात मुआवजा के भुगतान में इन का ध्यान रखा गया है। पर यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। अतः मैं यह चाहता हूं कि कोयले तथा सोने की खानों पर भी यह संशोधन विधेयक लागू किया जाय।

इस के अतिरिक्त और भी कई ऐसे समृद्धिशील उद्योग हैं, जिन के कर्मचारियों के लिये किसी प्रकार की भविष्य निधि की कोई व्यवस्था नहीं है, उदाहरणार्थ रसायन एवं रसायनिक उत्पाद उद्योग, सिगार तथा बीड़ी उद्योग। बागानों पर भी यह विधान लागू नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसा इसलिये है कि अधिकांश बागान अंग्रेज स्वामियों के हाथ में हैं। इन बागानों से ये लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं, फिर इन पर यह विधान क्यों न लागू किया जाये। मेरे विचार से उक्त उद्योगों तथा कालीमिर्च, रबर आदि के बागानों, और चर्मशोधन उद्योग आदि को इस विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता है।

यदि कोई कारखाना इस का प्रबन्ध न कर सके तो सरकार अपने राजस्व में से कुछ सहायता दे सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास काफी धन है और वह इस प्रकार की सहायता दे सकती है। जब वह मोदी कताई और बुनाई मिल को आयकर से छूट दे सकती है और निजाम को एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष दे सकती है, तो फिर गरीब मजदूरों के हित के लिये वह कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में उन सभी श्रमिकों को सम्मिलित कर ले जो अभी तक सम्मिलित नहीं किये गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

इस के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय ने श्री टी० वी० विट्ठल राव के संशोधन प्रस्तुत किये।

तदुपरान्त श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) ने अपने दो संशोधन पृष्ठ ७, पंक्ति ५० के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये।

**श्री के० पी० त्रिपाठी** : खेद है कि इस विधेयक की अनुसूची में से 'उत्पादन' शब्द के निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। मैं कल कह चुका हूं कि 'उत्पादन' शब्द के निकाल देने से इस विधेयक का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित हो जायेगा। विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह कहा गया था कि संशोधन के द्वारा विधेयक को और व्यापक बनाने का प्रयत्न किया जायेगा न कि उसे सीमित किया जायेगा। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। इस के द्वारा तो विधेयक का क्षेत्र सीमित ही होता है। यह उचित नहीं है।

उत्पादन तथा निर्माण एक ही उद्योग की दो भिन्न भिन्न क्रियायें हैं और किसी भी उद्योग में दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यदि आप विधेयक के क्षेत्र को केवल निर्माण तक ही सीमित करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ है कि आप केवल कारखानों को ही इस का लाभ देना चाहते हैं—दूसरों को नहीं। यह बात ठीक नहीं है। लाभ सम्पूर्ण उद्योग को मिलना चाहिये न कि केवल उस के एक अंग को। सम्पूर्ण उद्योग के लिये दोनों शब्दों का रहना

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

आवश्यक है । इस के अतिरिक्त ऐसे अन्य उद्योग भी इस में सम्मिलित किये जाने चाहियें, जो अभी सम्मिलित नहीं किये गये हैं ।

मेरे विचार से मूल अधिनियम का यह संशोधन उचित नहीं है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे वापस ले लेगी ।

मैं ने चाय, काफी, रबर, पेट्रोलियम तथा दियासलाई उद्योगों को सम्मिलित किये जाने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया है । ये पांचों उद्योग भारत के बहुत पुराने और जमे हुए उद्योग हैं । ये अपने प्रबन्धकर्त्ता कर्मचारियों पर बहुत धन व्यय करते हैं और इन के बहुत बड़े बड़े सचिवालय हैं । यहां तक कि ये उद्योग अपने अवकाश प्राप्त प्रबन्धकर्त्ता कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन देते हैं । परन्तु मजदूरों के लिये क्या होता है ? उन के लिये वृद्धावस्था में निवृत्ति वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है । रेगे समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में, जो वर्ष १९४६ में प्रकाशित हुआ था, यह सिफारिश की थी कि चाय बागान के मजदूरों के लिये वृद्धावस्था सम्बन्धी कोई व्यवस्था की जानी चाहिय । परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

अभी भी चाय उद्योग अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि देता है । यही नहीं, बुढ़ौती में किसी सहायक के न होने पर वह प्रति मजदूर प्रति सप्ताह एक रुपया व्यय करता है । लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । यदि इस विधेयक को उस उद्योग पर भी लागू कर दिया जाय तो मेरे विचार से चाय उद्योग उसे सहर्ष स्वीकार करेगा । चाय उद्योग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह एक आधारभूत नीति का प्रश्न है ।

यह कोई करारोपण की बात नहीं है । यह तो बचत का एक अच्छा उपाय है । इस भविष्य निधि से बहुत अधिक धन जमा हो सकता है जो पंचवर्षीय योजना की गृहनिर्माण योजना को क्रियान्वित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा और इस से श्रमिकों का कल्याण भी हो सकेगा । यही नहीं मैं समझता हूं कि चाय उद्योग को इस में सम्मिलित करने से उस उद्योग को भी बहुत लाभ होगा । इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये । यही बात पेट्रोलियम, दियासलाई आदि उद्योगों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । वे सब काफी पुराने और फलते फूलते उद्योग हैं । मैं तो मंत्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि वे उक्त पांचों उद्योगों को भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लें । इस से नियंत्रकों, कर्मचारियों, देश तथा सभी को लाभ होगा । यही नहीं पंचवर्षीय योजना को भी इस से बहुत सहायता प्राप्त होगी । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी ।

**श्री आबिद अली** : मूल अधिनियम द्वारा कर्मचारियों को दी गई सुविधा में यदि कोई कटौती अथवा कमी की जाती है तो सदस्यों को उस के लिये क्रोध अथवा सन्ताप करने का अधिकार है मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं । किन्तु साथ ही मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार की कोई प्रस्थापना विधेयक में नहीं की गई है । अनुसूची में से 'उत्पादन' शब्द निकाल दिया गया है और आप देखेंगे कि विधेयक के पृष्ठ २ पर 'निर्माण' की परिभाषा विस्तृत कर दी गई है । मूल अधिनियम की धारा २(छ) में कारखाने की परिभाषा की गई है, और वहां 'निर्माण विधि' का उल्लेख है । यह अधिनियम मुख्य

रूप से उन कारखानों के कर्मचारियों पर लागू होता है जो कि निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, और सीमित परिभाषा को प्रस्तावित संशोधन द्वारा, जो पृष्ठ २ का अंग है, विस्तृत कर दिया गया है ।

जब तक यह अधिनियम संशोधित नहीं होता तब तक चाय, काफी आदि के बागान इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते । धारा २ (छ) तो अधिनियम को कारखाना कर्मचारियों पर लागू करता है, क्योंकि अनुसूची १ में 'उत्पादन' शब्द का उल्लेख है । बागान कर्मचारी इस में नहीं आ सकते । यह अवैधानिक होगा । यह अधिनियम दियासलाई के कारखानों पर लागू हो सकता है ।

**श्री एस० एस० मोरे :** माननीय उपमंत्री जी कह रहे थे कि पृष्ठ २ पर 'निर्माण' की परिभाषा दे कर वह कारखानों से सम्बन्धित मूल अधिनियम की धारा २(छ) में दी गई परिभाषा के विस्तार को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि वह उदाहरणों द्वारा उस पर प्रकाश डालें ।

**श्री आबिद अली :** मैं बता रहा था कि क्योंकि अनुसूची १ में 'उत्पादन' शब्द दिया है, अतएव स्वत: ही यह अधिनियम यदि सरकार चाहे तो भी, बागानों पर लागू नहीं हो सकता । धारा २(छ) में कारखाने की परिभाषा की गई है और संशोधित विधेयक के पृष्ठ २ में निर्माण विधि दी गई है जहां कि हम ने 'निर्माण' की परिभाषा की है । कर्मचारियों के अधिकारों में जो कि उन्हें मूल अधिनियम के अन्तर्गत मिले हैं, किसी भी प्रकार से कोई कमी करने का हमारा कोई विचार नहीं है । और यही आश्वासन मैं सदन को देना चाहता हूं । इस संशोधन को लाने का विचार बेकार शब्दों को हटा देने का है । जब हम यह संशोधित विधेयक लाये तो विचार यह था कि सभी शब्दावलि को उचित ढंग से रखा जाये और सभी संभावित संशयों को हटा दिया जाय । जैसा कि मैं ने कहा है कि बागानों के अतिरिक्त अन्य दूसरे उद्योगों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने पर, यह अधिनियम लागू हो सकता है । उस उद्देश्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम को किसी भी प्रकार से संशोधित किया जाय ।

३ म. प.

बागानों के कारखानों पर भी यह अधिनियम लागू है, किन्तु योजना उन कारखानों पर लागू नहीं हुई है । बागानों के कारखानों पर सरकार इस अधिनियम को एक अधिसूचना द्वारा लागू कर सकती है । वह दूसरी बात है ।

अधिनियम केवल १ नवम्बर १९५२ से लागू हुआ है । यह, जड़ पकड़ रहा है, इस के लिये अभी सारी व्यवस्था होनी है । बहुत कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी होना है । हमारा विचार यह है कि वर्तमान उद्योग जिन्हें कि सम्मिलित किया गया है, उन के सम्बन्ध में यह योजना जड़ पकड़ ले तो भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर के अन्य उद्योगों को भी इस अधिनियम के क्षेत्र में ले लिया जाय और इस के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम को संशोधित किया जाय । अतएव मैं संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी अपने संशोधनों के लिये आग्रह नहीं करेंगे ।

**श्री विट्ठल राव:** माननीय मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्य उद्योगों के बारे में जिन पर कि यह अधिनियम लागू नहीं है, इस के बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ कठिनाइयां हैं। यह अधिनियम १ नवम्बर १९५२ से लागू हुआ है, और केवल एक ही वर्ष हुआ है। जहां तक दूसरे उद्योगों का सम्बन्ध है, उन का विचार है कि क्यों कि यह अधिनियम उन पर लागू नहीं किया गया है अतएव ऐसे उद्योगों में कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि नहीं है। पेट्रोल के उद्योग में भविष्य निधि है किन्तु योजना के स्तर की नहीं। वह ठीक है। कोयला खदानों में भविष्य निधि है, जिन की स्थापना इस अधिनियम की अपेक्षा पांच वर्ष पूर्व हुई थी। अतए आप देखते हैं कि दूसरे उद्योगों में भी भवि निधि है। उन म से कुछ तो १० प्रतिशत तक भुगतान करते हैं।

चीनी उद्योग के कुछ कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि योजना है किन्तु सभी के लिये नहीं। हमारा पूर्ण विचार दूसरे उद्योगों पर भी यथाशीघ्र इस अधिनियम को लागू करने का है।

**श्री पी० सी० बोस** (मानभूम—उत्तर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि चाय तथा काफी उद्योगों पर यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक प्रशासनीय व्यवस्था पक्की नहीं हो सकी है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस व्यवस्था के पक्का होने में कितना समय लगेगा ?

**श्री आबिद अली** : मैं ने कहा था कि जब तक यह अधिनियम संशोधित नहीं होता तब तक वह चाय तथा काफी उद्योग पर लागू नहीं हो सकता।

**श्री के० पी० त्रिपाठी** : मैं अपने संशोधनों के लिए आग्रह नहीं करता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सदन के सम्मुख संशोधन संख्या १६ तथा १९ रखूंगा।

पृष्ठ ७ में पंक्ति ५० को निकालने तथा पृष्ठ ७ में पंक्ति ५० के बाद जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है कि :

"खंड १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १, शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जो भी संशोधन यहां प्रस्तुत किये गये हैं वे क्रय शक्ति को प्रत्येक रूप से सीमित करते हैं। इस अधिनियम के वर्तमान क्षेत्र को भी सीमित करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधेयक में से 'उत्पादन' शब्द निकालने का विचार उसका उदाहरण है। वास्तव में यह केवल उन्हीं कर्मचारियों को इस योजना के लाभों में सम्मिलित होने की आज्ञा देगा जो कि निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। हमारा विचार है कि यह विधेयक के क्षेत्र को सीमित कर रहा है।

यदि आप देखें कि समस्त औद्योगिक नीति व्यक्तियों की क्रय शक्ति के अधीन है और यदि इसे हम लोक हितकारी राज्य की मूल नीति समझें तो कम से कम उन मामलों में जहां कि छोटे छोटे मालिक लोग योजना की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं तो सरकार उस संकटकाल में कुछ अंशदान दे, जब कि मालिक लाभ का अपना भाग देने में असमर्थ हैं। उन मामलों में सरकार द्वारा

लाभ देने से क्रय शक्ति बढ़ेगी और उद्योगों की सहायता होगी।

तीसरी बात यह है कि सरकार तथा सरकारी कारखानों के लिये छूट दी गई है। यदि हम वास्तव में यह मान लें कि हमारा राज्य लोक हितकारी राज्य है तो सरकार को चाहिये कि वह मालिकों के सम्मुख एक उदाहरण रखें कि सरकार के लिये भी कोई छट नहीं है। प्रायः गैर सरकारी नियोजक कहते हैं कि जो छट सरकार को दी गई है वही गैर सरकारी उद्योगों को दी जाये। किन्तु मैं समझती हूं कि यदि हम व्यक्तियों को क्रय शक्ति देने की मूल आवश्यकता पर विचार करें तो सरकारी कारखानों को दिया जाने वाला लाभ विधेयक के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय।

अन्तिम बात 'कम अनुकूल' तथा 'अधिक अनुकूल' खंडों की है। मुझे खेद ह कि इन खंडों की निविष्टि क्यों की गई है मैं नहीं समझ सकी। क्या 'अधिक अनकूल खंड का निकालना उन व्यक्तियों की सहायता करेगा जो कि अपने कारखानों के वर्तमान स्तर को कम करना चाहते हैं—यह बात समझने की है। यह केन्द्रीय आयुक्त को बिना निर्देश किये लाभों को कम करने की आज्ञा देगा जब कि विधेयक केपूर्व के खंड अनुसार केन्द्रीय आयुक्त को उन्हें निर्देश करना होता था।

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतरा): यह विधेयक विशेषरूप से अधिनियम को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को हटाने तथा इस प्रयोजन से कि कर्मचारियों के लाभार्थ यह उचित रूप से कार्यान्वित किया जाय, प्रस्तुत किया गया है किन्तु मेरे पास कुछ शिकायतें आई हैं। उन में कहा गया है कि विधेयक की धारा १७ के अधीन छूट देने तथा उन को लाभ देने की क्रिया के विषय में उचित रूप से नहीं विचार किया गया है, और उन कारखानों की जिन में वे काम करते हैं भविष्य निधि सम्बन्धी पुरानी योजनाओं से जो लाभ उन को मिल रहे हैं वे लाभ उन को मिलते रहने की अनुमति मिलनी चाहिये। उन की वर्तमान योजनाओं के अनुसार भविष्य निधि से ऋण ले कर, तथा उन के द्वारा ऊंची ब्याज की दर ले कर वे अधिक लाभ पा रहे हैं। काम करने वाले व्यक्तियों में से जो ५० वर्ष अथवा अधिक की आयु के हो गये हैं, यदि उन से जाने के लिये कहा जाता है, तो उन को बहुत हानि होगी, और यदि उन पर नई योजना लागू होती है तो उन को बहुत कठिनाई होगी। उन की मुख्य शिकायत यह है कि वे उचित अधिकारियों को अभ्यावेदन कर रहे हैं किन्तु उन की बातों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। उन की बातों पर उचित विचार होना चाहिये।

उन का कहना यह है कि उन की मांग पर पूर्णतः विचार किये बिना तथा आवश्यकतानुसार उन से स्पष्टीकरण लिये बिना उस मांग के विरुद्ध आदेश नहीं देना चाहिये। उन में से बहुत से श्रमिक अच्छी प्रकार शिक्षित हैं। वे प्रायः शिकायत करते हैं कि उन के प्रार्थना पत्रों पर प्रादेशिक आयुक्त अथवा केन्दीय आयुक्त उन से स्पष्टीकरण लिये बिना ऐसा निर्णय दे देते हैं कि उन की मांग उन के हित के विरुद्ध है। मैं मंत्री को सुझाव देता हूं कि इन प्रार्थियों में से बहुत से शिक्षित हैं और अपने हितों को समझते हैं। वे यदि किसी मांग के लिये अनुरोध करते हैं तो उस मांग को पूरा करना चाहिये। यदि वे नई भविष्य निधि योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते तो उन्हें पुरानी भविष्य निधि योजना जारी रखने देनी चाहिये। इस प्रश्न को उपेक्षापूर्ण ढंग से नहीं निबटाना चाहिये। प्रादेशिक आयुक्त को मामले की सब पहलुओं

[श्री आल्तेकर]

से पूर्ण जांच करनी चाहिये और यदि प्रार्थी स्पष्टीकरण देना चाहें तो उन्हें बुलाना चाहिये और तब निर्णय किया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों पर यह प्रभाव न रह जाये कि उन के प्रार्थना पत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया ।

दूसरी बात धारा की विशिष्ट शब्दरचना की व्याख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है । जब श्रमिक अपने हितों के विचार से कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिये ।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इस संशोधक विधेयक का यह सिद्धान्त है कि कर्मचारी और नियोजक दोनों अंशदान दें । परन्तु जीविका के निम्नस्तर का ध्यान रखते हुए कम से कम अगले दो तीन वर्षों में कर्मचारियों की ओर से कोई अंशदान नहीं रहना चाहिये । चीन की श्रमिक बीमा योजना और रूस की सामाजिक सुरक्षा इसी प्रकार की योजनायें हैं जिन में सरकार और नियोजक ही अंशदान देता है ।

फिर श्रीमान्, यह प्रणाली एकरूपता नहीं है । उदाहरणत: रेलवे में सरकार का अंशदान ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत है, कुछ उद्योगों में ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत है । इन सब योजनाओं में एकरूपता होनी चाहिये । सरकार यदि रेलवे इत्यादि में इस का प्रवर्तन नहीं करती तो उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वह गैर सरकारी नियोजकों के लिये इसे बाध्य बनाये । इसलिये इस प्रणाली की एकरूपता आवश्यक है ।

फिर विमुक्तियों के लिये उपबन्ध है । मेरी प्रार्थना है कि विमुक्तियां देते हुए लोकतन्त्रात्मक निर्णय होना चाहिये और श्रमिकों को यह मत देने का अधिकार होना चाहिये कि वे भविष्य निधि की पुरानी योजना जारी रखना चाहते हैं अथवा नई योजना के अधीन आना चाहते हैं ।

माननीय मंत्री ने कल बताया था कि एकत्र किये गये पांच करोड़ रुपये में से १६ लाख रुपया प्रशासन सम्बन्धी व्यय में लग जाता है । इस निधि का संचालन श्रमिक संघ कर सकते हैं । चीन और रूस में ऐसा हो रहा है । यहां भी कर्मचारियों और नियोजकों का अंशदान श्रमिक संघ को सौंप देना चाहिये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि विमुक्तियां होनी ही नहीं चाहिएं और माननीय मंत्री को आगामी सत्र में भविष्य निधि की एकरूप प्रणाली के लिये विधेयक लाना चाहिये ।

**श्री आबिद अली** : जनाब डिप्टी स्पीकर, अभी मेरे दोस्त श्री विट्ठल राव ने फरमाया कि चीन और रूस में जिस तरीके से प्रौविडेंट फंड वगैरह चलता है, वही चीज यहां भी होनी चाहिये । मैं उन से अर्ज़ करूं कि हम उस तरीके से जाना नहीं चाहते क्योंकि उस तरीके की पहली जरूरत यह होती है कि हमारे दोस्त उस पार्टी के जो कि सामने बैठे हुए हैं, वह यहां पर नहीं रहे । हम यहां पर डैमोक्रेसी (लोकतन्त्र) चाहते हैं । और डैमोक्रेसी का तरीका यहां रखना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में हर एक को पूरी आजादी हो और हर एक पार्टी को सरकार की मुखालफत करने का हक़ हो और वही डैमोक्रेसी का तरीका हम को पसन्द है । हम उस गलत तरीके को जिस के लिये वह ख्वाहिशमन्द हैं, अपनाना नहीं चाहते, उन के लिये वह तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन हम उस तरीके को अच्छा नहीं समझते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारे ये सब मुखालिफ दोस्त यहां पर बैठे रहें और हमेशा डेमोक्रेसी इस मुल्क में कायम रहे ।

ट्रेड यूनियनों के बारे में आप ने फरमाया कि पांच करोड़ रुपया जो इस प्रौविडेंट फंड में आता है, वह ट्रेड यूनियन के जिम्मे कर दिया जाये ।

अभी मेरी मोहतरम बहिन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती फरमा रही थीं कि ट्रेड यूनियन के वर्कर्स और कारखानोंमें काम करने वाले मजदूर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और मालिक जा कर उन से दस्तखत ले कर एग्ज़म्पशन (विमुक्ति) की दरख्वास्त भिजवा दिया करते हैं, मैं अपनी बहिन से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप यह कहती हैं कि मालिक उन को धोखा दे कर दस्तखत ले लेते हैं क्योंकि वह बिल्कुल अपढ़ हैं और फिर दूसरी तरफ वे चाहती हैं कि पांच करोड़ रुपया उन लोगों को सौंप दिया जाये । मालूम नहीं इस फंड का क्या हश्र होगा, अगर हम इस चीज को मान लेंवें । ये दोनों चीजें अभी यहां पर उन की ओर से पेश की गई हैं । मेरी अर्ज है कि प्रौविडेंट फंड के खर्चे के लिये जो पैसा आता है यह मालिकों से वसूल किया जाता है, इस में मजदूरों का एक पैसा भी नहीं आता है और कारखानेदारों से पैसा वसूल कर के यह फंड चलाया जाता है, इसलिये कम अज़ कम मेरे उधर बैठने वाले दोस्तों को तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये ।

अब रही एग्ज़म्पशन की बात .....

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं । माननीय उपमंत्री की हिन्दी में कही हुई सारी बातें मेरी समझ में नहीं आयीं । मैं यह कह रही थी कि इस विधेयक का लाभ प्राप्त करने के लिये कर्मचारी और नियोजक दोनों की सहमति आवश्यक की जाने के कारण नियोजक श्रमिकों की सामहिक मांग को भी निरर्थक कर सकते हैं ।

**श्री आबिद अली** : श्री चटर्जी कल कह रहे थे कि नियोजक श्रमिकों को धोखा देते हैं और उन से विमुक्तियों के लिये प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर ले लेते हैं । माननीय महिला सदस्य ने भी कहा है कि श्रमिक अपढ़ हैं और उन्हें पता नहीं कि कहां हस्ताक्षर दे रहे हैं । परन्तु दूसरी ओर श्री टी० बी० बिट्ठल राव कह रहे थे कि यह कार्य श्रमिकों को सौंप देना चाहिये । मैं इस ओर निर्देश कर रहा था ।

हां, तो मैं एग्ज़म्पशन (विमुक्ति) के बारे में अर्ज कर रहा था । हमारा ख्याल इस के बारे में यह है कि .....

**श्री एस० एस० मोरे** : माननीय उप मंत्री या तो हिन्दी में बोलें या अंग्रेजी में कुछ अंग्रेजी में और कुछ हिन्दी में क्यों ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि कुछ मालिक हैं और कुछ श्रमिक ।

**श्री आबिद अली** : मेरी अर्ज यह थी कि कुछ मैम्बरान का शायद यह ख्याल है कि एक दफा एग्ज़ेम्पशन दिया, यानी एग्ज़ेम्पशन हो गया, और इसलिये एग्ज़म्पटेड फैक्टरीज़ (विमुक्त कारखानों) के मजदूरों को प्रौविडेंट फंड (भविष्य निधि) नहीं मिलता है, अगर उन का ऐसा ख्याल है तो बिल्कुल गलत है । एग्ज़म्पशन का मतलब यह है और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ भी कर चुका हूं कि सिर्फ प्रौविडेंट फंड कमिश्नर के सीधे ताल्लुक से एग्ज़म्पशन हो जाता है, प्रौविडेंट फंड स्कीम का अमल होता है, लेकिन पैसा जो ट्रस्टीज़ हैं उन के पास जमा रहता है । जिन को एग्ज़ेम्पशन (विमुक्ति) नहीं मिलता है, ऐसे फंड का रीजनल कमिश्नर और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से सीधा ताल्लुक रहता है । इस के बारे में मैं दोबारा अर्ज़ करूं कि अगर वर्कर्स की मैजारिटी चाहती है, उन की ट्रेड यूनियन्स चाहती हैं, कि एग्ज़-

[श्री अबिद अली]

ऐग्ज़पशन दिया जाय और कारखानेदार भी इस बात के लिये राजी हों कि प्राविडेंट फंड वहां रहे, और दोनों मिल कर जब हमारे पास आते हैं तो हमारा रीजनल कमिश्नर इस की तहकीकात करता है, स्टेट गवर्नमेंट फिर से इस सब चीज को देखती है, फिर यहां का प्राविडेंट फंड कमिश्नर इस की तहकीकात करता है, और जब उस को यकीन हो जाता है कि यह चीज वर्कर्स के फायदे में है, तब उन को ऐग्ज़ेम्शन दिया जाता है, और वह भी हमेशा के लिये नहीं, कुछ दिनों के लिये दिया जाता है। नोटिफिकेशन (अधिसूचना) में इस का ऐलान होता है। कल भी मैं अर्ज कर चुका हूं और आज दोबारा अर्ज कर दूं कि अगर किसी ट्रेड यूनियन वर्कर को, किसी ट्रेडयूनियन को या किसी मैम्बर साहबान को यह लगे कि वर्कर्स को धोखा दे कर उन के दस्तखत ले लिये गये हैं, तो वह फौरन मुझे इस की इत्तिला करें। वर्कर्स अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, और अगर कहीं भी वर्कर्स चाहें कि ऐग्ज़ेम्पशन रद्द कर दिया जाय, तहकीकात करने के बाद अगर वर्कर्स की ख्वाहिश होगी और उन के फायदे में यह चीज होगी तो ऐग्जेम्पशन रद्द कर दिया जायेगा। इस में किसी किस्म का संकोच हमारी तरफ से नहीं होगा इस का मैं आप से वादा करता हूं।

दूसरी बात जो मेरे दोस्त श्री आल्तेकर ने फरमाई, हम को उस से बिल्कुल इत्तिफाक है कि जल्दी तस्फिया होना चाहिये। शुरू शुरू में जरूर कुछ देर हो गई थी, लेकिन अब तो इस स्कीम को अमल में आये हुए एक साल हो गया है। और अब देर नहीं लगती है। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि वर्कर्स जो चाहेंगे वही होगा, उन की मर्जी के मुताबिक होगा और जल्दी फैसला हुआ करेगा, इस में उन को अब जरा भी शक नहीं होना चाहिये।

ऐग्जेम्पशन के सिलसिले में मैं इतना और अर्ज़ कर दूं कि एग्जेम्पशन्स ज्यादातर इसलिये मांगे गये हैं कि वर्कर्स का पैसा जो जमा होता था उस में से कर्ज मिलता था। हम चाहते हैं कि वर्कर्स को फंड में से कर्ज न मिले, इस लिये कि हमारा यह मानना है कि जब वर्कर्स रिटायर (सेवानिवृत्त) होते हैं उस वक्त उन के पास काफी रकम होनी चाहिये ताकि रिटायर होने के बाद चाहे वह जमीन लें या दूकान करें या जो जी चाहे करें। उन के हाथ में काफी रकम आनी चाहिये। ट्रेड यूनियन के एक खादिम की हैसियत से मेरा यह तजुर्बा रहा है कि वर्कर्स अपने प्राविडेंट फंड में से काफी पैसा निकाल लेते हैं और उन के ऊपर काफी कर्ज हो जाता है। जब वह रिटायर होते हैं तो उन के पास बहुत थोड़ा पैसा बच जाता है क्यों कि बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में चला जाता है। इसलिये हम चाहते हैं कि कर्ज वर्कर्स न लें। वर्कर्स ऐग्जेम्पशन इसलिये चाहते हैं कि उन्हें कर्ज़ लेने की सहूलियत हो। इसलिये कल जो कहा गया कि बगैर उन की मर्जी के उन को राजी करा लिया जाता है, मुमकिन है कि यह चीज उन के कर्ज लेने के रास्ते में आती हो, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि जहां तक हो सके वह कर्ज न लें, उन का पैसा जमा रहे।

जूट इंडस्ट्री के बारे में आनरेबल लेडी मैम्बर फरमा रही थीं कि वहां अंग्रेज हैं और इसलिये गवर्नमेंट उन पर बहुत मेहरबान है। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। शेड्यूल १ में टैक्सटाइल के बारे में ब्रैकेट में दिया हुआ है : "पूरे अथवा आधे, नैसर्गिक अथवा कृत्रिम रेशम, ऊन, रुई अथवा पटसन के कपड़े।" जूट ट्रेड तो पहले शेड्यल में ही दिया हुआ है। जिस दिन यह स्कीम अमल में आई उसी दिन जट इंडस्ट्री पर यह कानून अमल में

आ गया है, फिर भी उन्हों ने शिकायतें की। हमें इस से कोई ताल्लुक नहीं कि वह अंग्रेज हैं या अमरीकन है। और अगर रशियन का न होना उन को बुरा लगता है तो वह भी बिजनेस में आ जावें और वह आ कर यह बिजनेस कर सकते हैं। इसलिये जो कायदे अमल में ह उस में कोई अंग्रेज है, अमरीकन है या रिशयन है, इस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिन इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहिये, जो लाई जा सकती हैं, उन को हम लाते हैं, और जैसा मैं ने अर्ज किया कि यह चीज नहीं है कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज पर यह कानून नहीं लगाना चाहते हैं। यहां पर आ कर सिर्फ एतराज कर देना और चीज को न पढ़ना, और पढ़ना भी तो बिना समझे हुए गलत गलत एतराज कर देना उन की आदत हो गई है। यह बात आनरेबल मेम्बर जानते हैं कि हम किस तरफ और कैसे जा रहे हैं। मेरी अर्ज यह है कि हम वैलफेयर स्टेट के उसूल को मानने वाले हैं, हम कम्पलीट (सम्पूर्ण) सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षितता) की तरफ जा रहे हैं। हमारी गाड़ी अब रास्ते पर आ गई है और बराबर वह चलेगी और तरक्की करते हुए चलेगी। हम अपने मुल्क को बढ़ायेंगे, मुल्क की जो भी इडस्ट्रीज हैं, उन को बढ़ायेंगे। और यहां के मजदूर हैं उन को पूरा हक जरूर मिले, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई भी जो उस तरफ बैठा हुआ है, मुझ से बढ़ कर आतुरता से इस का इन्तजार करता होगा या करने की कोशिश भी करता होगा।

मेरी माननीय बहिन ने फरमाया कि इस में कहीं ह्यमैनिटेरियन प्वाइंट आफ व्यू (मानवता की दृष्टि) नहीं है, यह चीज हम से बहुत दूर है। हम ह्यमैनिटेरियन प्वाइंट आफ व्यू को तो जरूर मानते हैं, लेकिन आज हम कम्पलीट सोशल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और जरूर जायेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त जो उस तरफ बैठे हुए हैं उन को बुरा लगता है कि हिन्दुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है जो कि उन को अच्छा नहीं लगता है। उन को तो तबाही और बरबादी ही चाहिये।

**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : इन आक्षेपों का अभिप्राय क्या है ?

**श्री आबिद अली** : अब तो मेरी बातें सुनने की उन की बारी है। आक्षेप करते जाना तथा जवाब न सुनने की तो उन की आदत सी हो गई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी माननीय सदस्य को, चाहे वह इस तरफ का हो या उस तरफ का, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस से किसी सदस्य के सदाशय के बारे में सन्देह उत्पन्न हो।

**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : उन के मन पर लाल भूत ऐसे कुछ सवार हो गया है कि वे उपस्थित किये गये किन्हीं विशिष्ट विषयों का उत्तर नहीं देते।

**श्री आबिद अली** : मैं ने सब प्वाइंट्स को एक के बाद एक लिख लिया है और एक के बाद एक देख कर जवाब दे रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस में क्या लिखा हुआ है। पहले ही यह स्कीम (योजना) जूट इंडस्ट्री (पटसन उद्योग) के लिये अमल में आ गई है। कल उन्हीं की पार्टी के कुछ मेम्बर साहबान ने ऐतराज़ किया था जूट इंडस्ट्री के लिये एग्ज़म्पशन की आई हुई दर्खास्तों के बारे में। फिर भी अगर उस पार्टी के एक मैम्बर आ कर कहते हैं कि जूट इंडस्ट्री के लिये हम इस स्कीम को अमल में नहीं लाये हैं, हम अंग्रेजों पर मेहरबान हैं, और उन के दोस्त हैं, और अगर इस का मैं जवाब देता हूं और उस पर वे नाराज होते हैं तो हुआ करें। अगर वह जवाब से नाराज होते हैं तो गलत ऐतराज न करें और अगर ग़लत ऐतराज करना है तो जवाब सुन कर नाराज न हुआ करें।

**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, क्या मैं कुछ वैयक्तिक स्पष्टीकरण करूं ? बात यह है कि माननीय मंत्री, उस भाषण को समझ नहीं पायें हैं । कहा यह गया था कि जूट जैसे बड़े उद्योगों में भी अत्यधिक लाभ हो रहा है । पैट्रोल तथा चाय के बारे में भी हम ने यही बात कही थी । हमें यह नहीं कहना था कि जूट उद्योग में यह अधिनियम लागू नहीं होता । प्रश्न यह था कि वहां इतना अतिरिक्त मूल्य , अर्थात् लाभ, होते हुए भी जिन बोनसों के कारण जनता की क्रयशक्ति बढ़ती है, उन का देना मर्यादित किया जा रहा है । यह बात उन की समझ में बिल्कुल नहीं आई ।

**श्री आबिद अली** : यदि विरुद्ध पक्ष के माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि बुद्धिमत्ता, समझदारी तथा विवेक का ठेका उन्हें ही मिला है तो मैं इस बारे में उन से कोई झगड़ा उठाना नहीं चाहता ।

**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर) : विरुद्ध पक्ष की बातें समझने के लिये कुछ मूलभूत ज्ञान आवश्यक है । (**अन्तबाधा**)

**श्री आबिद अली** : मैं एक के बाद एक उन की बातों का जवाब दे रहा था और उन पाइंट आफ आर्डर और दूसरी चीजों का जो कि उन्हों ने आप के सामने पेश की हैं । आप ने जो फरमाया उस को मैं मानता हूं । लेकिन कल ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं, उन की स्पीचेज मौजूद हैं और इस किस्म की बातें हमारे बारे में कही गई हैं जो कि नहीं कहनी चाहियें थीं । अगर हम यह कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, अगर हम यह कहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वर्कर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस के लिये हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, और यह लोग सिर्फ गड़बड़ और तबाही पैदा करना चाहते हैं, तो यह सच्ची बात है और सब लोग इस को जानते हैं । तब फिर नाराज़गी की इस में कौन सी गुंजाइश है । तो वही मैं अर्ज कर रहा था कि अगर वह लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो मेहरबानी कर के देने की भी कोशिश न किया करें ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि न सिर्फ हम ने कम्पलीट सोशल सिक्यूरिटी की बात को माना है बल्कि हम उस को अमल में लाना चाहते हैं । सवाल यह है कि हम मुल्क को तबाह कर के या इंडस्ट्री को बरबाद कर के यह नहीं चाहते कि कुछ महीने के लिये वर्कर्स की जेब में कुछ पैसे आ जायं बल्कि हम चाहते हैं कि वह रोज बरोज खुशी की तरफ बढ़ते जायें । अगर वर्कर्स की मैजारिटी यह चाहती है कि किसी एक खास फैक्टरी में प्रावीडेंट फंड बन्द कर दिया जाय इसलिये कि वर्कर्स को इस बात का यकीन हो गया है कि अगर प्रावीडेंट फंड जारी रहेगा तो इंडस्ट्री इस के बोझ को सहन नहीं कर सकेगी और कारखाना बन्द हो जायेगा, तो ऐसे कारखाने पर स्कीम नहीं लगाई जायेगी । ताज ग्लास वर्क्स के वर्कर्स को इस बात का यकीन हो गया कि कारखाना नुक्सान में आ रहा है तो प्राविडेंट फंड तो क्या उन्होंने अपनी तनख्वाह तक कम कर दी और मालिक को कहा कि अगर तुम को नुक्सान होता है तो हम इस में से कुछ बरदाश्त कर लेंगे और हमारी तनखाह कम कर दी जाये । और इस तरह से ताज ग्लास वर्क्स जारी रहा क्यों कि वर्कर्स ने अपनी मर्जी से अपनी तनखाह कम करा ली । तो ऐसा कैसे किया जा सकता है कि जहां तनखाह कम कर दी जाय वहां पर भी प्राविडेंट फंड जारी रखा जाय । यह बात गलत होगी । हम इंडस्ट्री को बन्द नहीं करना चाहते हैं । सब काम वर्कर्स के सलाह व मशविरे से होगा । आप के सामने जो यह बिल है उस में यह है कि अगर वर्कर्स की मैजारिटी यह चाहती हो कि

प्राविडेंट फंड न रहे और हम को यकीन हो जाये कि कारखानेदार वर्कर्स को धोखा नहीं दे रहे हैं और यह चीज वर्कर्स के हक में है कि प्राविडेंट फंड जारी न रखा जाय तो हम यह करेंगे कि जितने दिनों के लिये जरुरत हो प्राविडेंट फंड अमल में न आवे : इस में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती । सदर साहब, यह कह कर, यह बिल पास किया जाय ऐसी मेरी अर्ज है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

## बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर सामान्य चर्चा चल रही है । श्री एच० एन० मुकर्जी ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखने से पता चलता है कि इस कानून के द्वारा सरकार रुपया जमा करने वालों की तकलीफें दूर करना चाहती है । मैं समझता हूं कि सरकार ने अपनी आंखें देर से ही खोली हैं । यह विधेयक वास्तव में बहुत पहले लाया जाना चाहिये था ।

आम तौर से बैंकों की हालत १९४७ से खराब होने लगी थी । बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी बंगाल के ७८ बैंकों में से, जिन का परिसमापन हो रहा था, केवल एक बैंक ही अपने साधारण लेनदारों को दस प्रतिशत लाभांश दे सका था । मेरा डर यह है कि इतनी देर से लाया गया यह कानून अधिक लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकेगा । मुझे पता चला है कि परिसमापित किये जाने वाले बैंकों के दावों की वसूली के लिये जो कदम उठाये जाने वाले हैं उन को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक खर्चा भी कर लिया गया है । न्यायालय सम्बन्धी इतने भारी खर्चे के कारण ही परिसमापकों के पास रुपये की कमी हो गई है । सितम्बर १९४९ में सरकार ने उस समय प्रचलित कानूनों की अपर्याप्तता के कारण एक अध्यादेश जारी किया था । इस के बाद हमें तीन या चार वर्ष का अनुभव हो चुका है । यदि सरकार ने सारे मामले पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया होता तो लेनदारों के हितों की ठीक तरह से रक्षा हो सकती थी । इस विषय में सरकार ने जो उदासीनता दिखाई है वह वास्तव में लज्जाजनक है ।

भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत परिसमापकों के लिये यह आवश्यक था कि वे परिसमापन आदेश के एक महीने के अन्दर लेनदारों और अंशदाताओं की एक बैठक बुलाये जो परिसमापकों के साथ कार्य करने के लिये एक निरीक्षण समिति की नियुक्ति करे । कानून में यह उपबन्ध भी था कि परिसमापक लेनदारों और अंशदाताओं के इन प्रतिनिधियों द्वारा पारित संकल्पों की ओर उचित ध्यान दें । परन्तु इन में से किसी बात का ख्याल नहीं रखा गया है । और बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में, जिसे हम अब संशोधित कर रहे हैं, न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि उन के लिये लेनदारों की बैठक बुलवाना या समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं । मेरी शिकायत यह है कि इस ओर सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है । मैं आशा करता था कि इस संशोधन विधेयक में इस विषय में कोई उपबन्ध होगा परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, इस राज्य को और त्रावनकोर-कोचीन राज्य को बैंकों के परिसमापन से बहुत नुकसान हुआ है। पश्चिमी बंगाल में न्यायालय परिसमापकों के जरिये ८० बैंकों का परिसमापन कर रहे हैं। इन परिसमापकों में से अधिकतर लोग वकील हैं। बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को परिसमापन कार्यवाही को कम खर्चीला बनाने और उसे जल्दी खत्म करने के लिये नियम बनाने के बारे में अधिकार दिये गये थे। परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चार वर्ष के समय में भी इन नियमों को बनाना उचित नहीं समझा। बताया जाता है कि समय की कमी के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सका। इस से प्रकट होता है कि बंगाल में लेनदारों और छोटे व्यापारियों के प्रति कितनी उदासीनता दिखाई जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने सरकारी रिसीवर को अपने काम के अलावा ४४ बैंकों के परिसमापन का काम और दे दिया है। यह इसलिये नहीं किया गया है कि इन बैंकों पर न्यायालय के एक अधिकारी की निगरानी रहे बल्कि इस का कारण यह है कि कोई गैर सरकारी परिसमापक इन बैंकों के जिन के पास कोई पैसा नहीं था, परिसमापन कार्य के लिये तैयार नहीं थे। परन्तु नाथ बैंक के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने २,००० रुपये प्रति मास पर तीन परिसमापक नियुक्त किये थे और यही वजह है कि इस बैंक के परिसमापकों को रुपया देने पर २,३०,३२१ रु० ३ आने खर्च हुए हैं। मैं आप को यह सत्य इस लिये बता रहा हूं कि आप को पता लगे कि न्यायालयों ने इस सम्बन्ध में किस तरह से काम किया है। चूंकि प्रस्तुत विधेयक में उच्च न्यायालयों को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं इसीलिये मैं इस विषय पर यहां जोर दे रहा हूं।

जहां तक गैर सरकारी परिसमापकों का सम्बन्ध है बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम तौर से परिसमापन का काम अकुशलतापूर्वक और बहुत धीरे धीरे हुआ है। यदि इस बारे में एक उचित जांच हो तो पता चलेगा कि इन लोगों ने पूरी तरह से अपने कर्त्तव्य नहीं निभाये हैं। इन लोगों ने न्यायालयों को न तो रिपोर्टें पेश की हैं न ही लेनदारों की सूची तय की है और हिसाब किताब ठीक रखा है। बहुत कम मामलों में बैंकों के निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा है वकीलों और सालिसिटरों पर बहुत खर्चा किया गया है। बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति ने भी इसी तरह के आरोप लगाये हैं। उस ने कहा है कि परिसमापकों ने व्यर्थ का बहुत सा खर्चा किया है। जरा जरा सी बात पर हजारों और लाखों रुपये खर्च हुए हैं। इस के अलावा, परिसमापन कार्यवाही में भी एकसमानता नहीं है। मैं आप को पचासों उदाहरण दे सकता हूं जिन में आप देखेंगे कि न्यायालयों ने किस प्रकार काम किया है। अतः न्यायालयों को इस तरह के अधिकार देते समय हमें सावधानी से काम लेना चाहिये।

४ म० प०

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या विधेयक में न्यायालय के परिसमापकों को ही नियुक्त करने का उपबन्ध नहीं है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : उस में उच्च न्यायालय के अपने विवेक का प्रयोग करने और पुराने परिसमापकों को रखे रहने का

उपबन्ध है। वर्तमान परिसमापकों के कार्य को देखते हुए, इस प्रकार का उपबन्ध बहुत खतरनाक होगा ।

**श्री ए० सी० गुहा**: उच्च न्यायालय का विकल्प बहुत अधिक सीमित है । मैं नहीं समझता कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश विचाराधीन मामलों में उस विकल्प का प्रयोग करेगा । सारे मामले न्यायालय के परिसमापकों को सौंप दिये जायेंगे । केवल उन्हीं मामलों में ऐसा नहीं होगा जिन में न्यायाधीश यह समझेंगे कि ऐसा करने से जमा करने वाले लोगों को नुकसान होगा यह आदेश लिखित में जारी किया जाना होगा ।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मेरी कठिनाई यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने माननीय उपमंत्री को एक पत्र लिखा है जिस में उन्हों ने कहा है कि पहले से नियुक्त परिसमापक को हटाना आसान नहीं होगा क्यों कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत उसे किसी खास वजह से ही हटाया जा सकता है; इसलिये आम तौर से परिसमापन कार्यवाही उन्हीं परिसमापकों द्वारा होगी जो इस समय नियुक्त हैं । इस बात से पता चलता है कि न्यायालय अपने विवेक का किस प्रकार प्रयोग करेंगे ।

**श्री ए० सी० गुहा** : इसी कठिनाई को दूर करने के लिये और स्वयं उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के सुझाव पर ही हम ने इस विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध कर दिया है । आप ने अभी जो कहा है वह तो वर्तमान कानून के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था है । परन्तु हम ने ठीक इस के विपरीत उपबन्ध किया है । सब मामलों को न्यायालय के परिसमापकों को सौंप दिया जायेगा; केवल वही मामले नहीं सौंपे जायेंगे जिन के विषय में न्यायाधीश यह समझेंगे कि ऐसा करना जमा करने वालों के हित में नहीं होगा ।

**श्री एच० एन० मकर्जी** : इस विधेयक के खंड ६ के अन्तर्गत प्रस्तावित नये खंड ३८ क (३) के परन्तुक में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय यह समझेगा कि न्यायालय के परिसमापक की नियुक्ति जमा करने वालों के हित में न होगी तो, वह सरकारी परिसमापक के पद पर नियुक्त व्यक्ति से ही काम करते रहने के लिये कह सकता है । तो पुराने परिसमापकों का रहे चले आने देना उच्च न्यायालयों के विवेक पर निर्भर करता है; मैं इस उपबन्ध के खिलाफ हूं । यद्यपि मैं ने इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं रखा है परन्तु मेरा सुझाव है कि इस परन्तुक को हटा दिया जाये । लेनदारों को जो अनुभव हुआ है उसी के आधार पर मैं यह सब कह रहा हूं । बैंकों के परिसमापन में न्यायालयों ने लेनादारों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा है । वर्तमान परिसमापकों का रहे चले आना बहुत खतरनाक है ।

इन छोटे छोटे बैंकों में छोटे छोटे व्यापारियों और गरीब गांव वालों का रुपया होता है । चूंकि इन की देख भाल का कोई विशेष अच्छा प्रबन्ध नहीं होता इसी लिये इन का दिवाला निकलता है । इन बैंकों के परिसमापन का कार्य बैरिस्टरों को दिया जाता है जिन की या तो प्रैक्टिस इतनी होती है कि वे बैंकों की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते या जो केवल इन परिसमापन कार्यवाहियों से ही सारा पैसा वसूल करते हैं और जो इस कार्यवाही को उचित रूप से चलाने के लिये पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होते । मेरी शिकायत यह है कि लोगों के पैसे के साथ इस तरह से खेलना एक बहुत गलत चीज़ है । आप को इस तरह का एक नियम बनाना चाहिये जिस से परिसमापकों के

[श्री एव० एन० मुकर्जी]

लिये दस या पन्द्रह वर्ष के अनुभव वाले वकील ही नियुक्त हों ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान देगी और इस कानून में ऐसे उपबन्ध करेगी जिस से लेनदारों के हितों की रक्षा हो सके ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ दिन पूर्व श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने विधेयक को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । किन्तु उस समय उन्हों ने नाम नहीं बतलाये थे । अब उन्होंने नाम दे दिये हैं और मैं प्रस्ताव फिर पढ़ता हूं ताकि इस पर भी चर्चा की जा सके ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को श्री रिशांग किशिंग, श्री बूबराधसामी, श्री एन०. आर० एम० स्वामी, श्री एन० श्रीकान्तन नायर, श्री मंगलगिरि नानादास, श्री टी० बी० विट्ठलराव, श्री एस० वी० रामास्वामी, डा० राम सुभग सिंह, श्री दिवानचन्द शर्मा, श्री झूलन सिन्हा, श्री विश्वानाथ राय, श्री श्यामनन्दन मिश्र, सरदार हुक्म सिंह, श्री ए० सी० गुहा, श्री टी० के० चौधरी और प्रस्तावक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक उपस्थित करने का निदेश दिया जाये ।"

**डा० एम० एम दास** (बर्दवान--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मुझे हर्ष है कि बैंकों के समापन को विनियमित करने के लिए सरकार ने आखिर एक व्यापक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस विधेयक से देश के उन अभागे लोगों को जिन्हों ने बैंकों में रुपया जमा करा रखा है, बहुत लाभ होगा । किन्तु साथ ही मुझे खेद भी है कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में इतना विलम्ब किया है । यह सरकार की भूल थी कि उस ने अभी तक बैंकों की समापन प्रक्रिया के लिए कोई उपयुक्त विधान नहीं बनाया इस से उस की अदूरदर्शिता का पता चलता है । यदि यह विधान भारतीय कम्पनी अधिनियम १९४९ में सम्मिलित किया गया होता तो जमा करने वालों को कुछ लाख रुपये और मिल जाते ।

विधेयक का सब से महत्वपूर्ण उपबन्ध उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायालय समापक की नियुक्ति के बारे में है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सब मामलों में रिज़र्व बैंक को सरकारी समापक नियुक्त करना चाहिए और यह उच्च न्यायालयों के अधीक्षण और निरीक्षण में समापन कार्यवाही करेगा । मेरे विचार में सरकार को या रिर्जव बैंक को यह उत्तरदायित्व संभालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

**श्री बी दास** : मैं इस बैंकिंग (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि रिज़र्व बैंक वस्तुतः एक राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम करे और उन छोटे छोटे बैंकों को जो कि छोटे उद्योगों को विकसित कर रहे हैं, सहायता दे । रिज़र्व बैंक और इस की एजेंसी, इम्पीरियल बैंक केवल बड़े उद्योगों और व्यापार के हित में काम कर रहे हैं । जिस का एक बड़ा भाग विदेशियों के हाथ में है । यह बहुत खेद की बात है कि अभी तक इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया । सुना है कि इम्पीरियल बैंक में अब बहुत कम युरोपियन रह गये हैं । किन्तु रिज़र्व बैंक को सदन के सामने इस बात का उत्तर देना होगा कि इम्पीरियल बैंक के नियन्त्रण में जो अलिखित या अज्ञात बकाया थी, उस का क्या हुआ है ? क्या वह अब भी रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक के नियन्त्रण

में है। मेरे विचार में इम्पीरियल बैंक का उचित रूप से राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। ये दोनों बैंक "विदेशी" रूप से कार्य कर रहे हैं और देश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते। न ही इन्हों ने छोटे बैंकों को कोई सहायता दी है। पहले रिज़र्व बैंक ने छोटे अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाये थे कि ये बैंक उन का पालन नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से रिज़र्व बैंक इन बैंकों पर नियन्त्रण रखता था, वह हमारे देश की स्थिति के अनुकूल नहीं था। रिज़र्व बैंक का अध्यक्ष एक सच्चा राष्ट्रवादी होना चाहिए, जो यह समझ सके कि इस का काम उद्योगों और कृषि को आर्थिक सहायता देना है।

**श्री ए० सी० गुहा**: रिज़र्व बैंक अधि-नियम को संशोधित करने के लिए एक और विधेयक है।

**श्री बी० दास**: अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि इस के सब कृत्यों का राष्ट्रीय-करण होना चाहिए। इस ने अनुसूचित बैंकों को विकसित करने में कभी कोई सहायता नहीं दी। कलकत्ता में छोटे छोटे उद्योगों ने इस बात पर विचार करने के लिए कि वे बैंकों से वित्त कैसे प्राप्त कर सकते हैं एक समिति नियुक्त की थी। किन्तु समिति ने यह अनुभव किया कि छोटे उद्योगों को कोई वित्त नहीं मिल सकता, क्योंकि छोटे बैंक तो रहे नहीं। उन्हें १५ प्रतिशत की दर से ऋण लेना पड़ता है और कभी कभी तो रुपया लेने के लिए काबलियों के पास जाना पड़ता है। वर्तमान स्थिति बहुत शोचनीय है क्योंकि छोटे बैंक बड़े बैंकों के मुकाबले के सामने और रिजर्व बैंक और इसके सहायक इम्पी-रियल बैंक के कठोर और निर्दयतापूर्ण शासन के सामने ठहर नहीं सकते। मैं तो देश का आर्थिक विकास देखना चाहता हूं। मुझे हर्ष है कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है किन्तु मैं इस की प्रशंसा तब कर सकूंगा जब कि रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेगा और बैंकिंग के मामलों में इंग्लैण्ड और अमेरिका की नकल करना छोड़ देगा।

इन छोटे गैर-अनुसूचित बकों का दिवाला नहीं निकलने देना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत के निजी बैंकों को पनपने नहीं दिया जिसका फल यह हुआ कि मध्य प्रदेश के दागा जैसे बड़े बड़े बैंकरों का भी दिवाला पिट गया। अब तो हमारी अपनी सरकार है परन्तु हम ग्रामीणों के स्वभाव को नहीं समझते। यह ठीक है कि बचत सर्टीफिकेट तथा डाकखाने के सर्टीफिकेटों द्वारा धन जमा किया जा सकता है परन्त उस धन का प्रयोग कैसे होता है? हमारे उद्योगों, व्यापार तथा राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक पहलू का विकास करने वाले तो छोटे छोटे बैंकर और साहूकार हैं। डाकखाने में रुपया जमा होने से उद्योगों के विकास में सहायता नहीं मिलती।

मैं मानता हूं कि श्री धीरेन मित्रा ने यह रिपोर्ट तैयार कर के देश की बड़ी सेवा की है परन्तु मुझे एक बात और कहनी है और वह यह कि इस देश में बैंकिग बड़ी कठिन हो गयी है। बैंकों के कर्मचारी उन की समृद्धि में सहायक नहीं होते। बैंक का क्लर्क पूरे पांच बजे उठ जाता है चाहे उस ने ३५० रुपये ४ आने की रकम लिखते समय अभी ३ और ५ का आंकड़ा ही लिखा हो। बैंक कर्मचारियों का मज़दूर संगठन हानिकर है। प्रति दिन हम बैंक सम्बन्धी न्यायाधिकरणों की रिपोर्टें पढ़ते हैं। भारत के गज़ट को देख कर तो ऐसा लगता है कि रिज़र्व बैंक, इम्पीरियल बैंक आफ़ इण्डिया अथवा बैंक आफ़ बड़ौदा अथवा बैंक आफ़ इंडिया के अतिरिक्त और कोई बैंक रहेगा ही नहीं। इस से मुझे बड़ी चिन्ता होती है। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब रिज़र्व बैंक हमारे देश के विकास में पूरा

[श्री बी० दास]

योगदान देगा । मैं यह विधेयक रखने पर श्री गुहा की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस का अच्छा परिणाम होगा ।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) तथा आर० के० चौधरी (गौहाटी)** उठे—

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक का प्रभाव श्री चौधरी पर तो नहीं पड़ता है

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : वे अत्यन्त बुद्धिमान हैं; बैंक में रुपया रखते ही नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा मतलब है कि आसाम पर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

**श्री सर्मा** : हम पर इस का गम्भीर प्रभाव पड़ता है । सच तो यह है कि आसाम में ८ या ९ अनुसूचित बैंक फेल हुए जिन में लगभग १२ करोड़ रुपया डूब गया ।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : जिन लोगों का इतना रुपया डूब गया है उन से मुझे बहुत सहानुभूति है ।

एक संशोधन रखा गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । इस विधेयक द्वारा विधि में बहुत कुछ रूपभेद करने की चेष्टा की जा रही है । पुराने अधिनियम का भाग ३ क सारे का सारा बदल दिया गया है । कई ऐसे उपबन्ध रखे गए हैं जिन का बहुत अधिक प्रभाव होगा । उन में कुछ तो मुझे बड़े ही अनोखे लगे । एक से तो ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय मैजिस्ट्रेट की अदालत हो कर रह जायेगा ।

**[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]**

दूसरा अनोखा उपबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा निदेशक या लेखा-परीक्षक पर जिरह किया जाना आवश्यक समझा जाने पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मुख्य जिरह कौन करेगा । यह ठीक है कि न्यायाधीश चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं और परिसमापक जिरह कर सकता है । परन्तु इस उपबन्ध के अधीन सारा बोझ उच्च न्यायालय पर ही आ पड़ता है ।

यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाय, उस का अपना वकील होना चाहिए जो उस का पहलू न्यायालय के सामने रखे ।

खण्ड ४५ छ में जो उपबन्ध है उस द्वारा अभियुक्त द्वारा अपनी बात कहने का अधिकार सीमित हो गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने सुझाव दिया है कि धारा ३८ क के अधीन जो परन्तुक है, उसे हटा दिया जाय । मेरा विचार है कि यह परन्तुक रहना चाहिए । यह न रहेगा तो बड़ी कठिनाई होगी ।

मैं मानता हूं कि बैंक सम्बन्धी क्षेत्रों में बुरी बातें होती हैं । बैंक सम्बन्धी क्षत्रों में ही नहीं वरन् सारे संसार में ऐसा होता है । परन्तु दुनिया में ईमानदार लोग भी हैं जिन के बल बूते पर ईमानदारी से काम होता है ।

श्री बी० दास ने अपने भाषण में कहा कि बैंक क्लर्कों के आन्दोलन के कारण वे पूरे साढ़े चार बजे ही काम बन्द कर देते हैं । परन्तु मुझे इस के बिल्कुल उलट मामलों का भी ज्ञान है । मैं स्वयं एक मामूली क्लर्क की हैसियत से बैंक में काम कर चुका हूं । ऐसे लोग भी हैं जो सवेरे ९ या साढ़े आठ बजे ही जा कर रात को ९ बजे लौटते हैं । ऐसे लोग भी हैं जो काम करना जानते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं ।

खैर, बम्बई के बैंकों में तो ऐसे ही होता है । कलकत्ते की बात मैं नहीं कह सकता । परन्तु हम जो कानून बना रहे हैं उस के सम्बन्ध

में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है :

> "पश्चिमी बंगाल में हाल ही में ८२ बैंकों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये गये। उन से मालूम होता है कि जब कि परिसमापन का खर्च ३९·८१ लाख रुपये बैठा परन्तु रुपया जमा कराने वालों को कुल १७·६४ लाख रुपये ही लौटाये गये जिनमें से १५·६१ लाख रुपये की रकम अकेले एक बैंक ने दी।"

यह बड़ी बुरी बात है। परन्तु यह विधेयक किस मर्ज़ की दवा है ? हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है। क्या केवल सरकारी परिसमापक की नियुक्ति से ही यह समस्या हल हो जायगी ? इन सब बातों पर विचार तभी हो सकता है जब कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिस में बैंक सम्बन्धी अनुभव वाले माननीय सदस्य हों।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी न करें बल्कि सारे प्रश्नों पर विचार करें। परिसीमन विधि तो इस विधेयक में दी गई उस प्रक्रिया से समाप्त हो जाती है जो देय राशि के वापिस लौटाने के लिए निश्चित की गई है। जिन लोगों ने बैंक में कभी दिलचस्पी न ली हो और सौभाग्य या दुर्भाग्य से बैंक के निदेशक बन गये हों क्या कुछ रुपयों के लिए उन का पीछा करना उचित है ?

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपने के सुझाव को स्वीकार करें। एक समुचित प्रवर समिति बनाई जाय और उस से कहा जाय कि यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

**श्री आर० के० चोधरी** : मुझे यद्यपि बैंकिंग जैसे शुष्क विषय में कोई रुचि नहीं है, किन्तु मैं जमा पूंजी से अधिक धन निकलवाने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। अधिक धन निकलवाने की प्रथा बहुत खतरनाक है। मैं पहिले भी कभी यह कह चुका हूं कि आय-कर विभाग और गृहिणी दोनों ही विचारधारा एक सी होती हैं। आय-कर विभाग सामान्यतया अधिक निकलवाये गये धन को गलती से उस व्यक्ति की आय समझ कर उस पर कर ले लेता है। और गृहिणी विशेष रूप से आजकल की अंग्रेजी पढ़ी हुई गृहिणी उस राशि को उस व्यक्ति की जमा पूंजी समझ लेती है और इस प्रकार झगड़ा हो जाता है। बैंकिंग के सामान्य क्षेत्र में भी इसी के कारण अब तक इतनी शरारतें हुई हैं। अब तक किसी बैंक के समापन के पश्चात तीन उद्देश्यों से उस की शव परीक्षा की जाती रही है। सर्वप्रथम तो यह स्वयं बैंकरों को ही संरक्षण देने के लिये की जाती है। इस के बन्द होने से तुरन्त पूर्व या पश्चात न्यायालय निदेशकों और कर्मचारियों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिये यह संरक्षण देता है। दूसरा उद्देश्य न्यायालय में काम करने वाले विधिवेत्ताओं को काम देना होता है। तीसरे यह ऋण लेने वालों से अच्छी प्रकार ऋण की वसूली करवाता है। क्योंकि समापक को ५ प्रतिशत पारिश्रमिक मिलता है। अतः वह शीघ्रातिशीघ्र निर्दयता से ऋण वसूल करता है। इस विधेयक से ऋण की अच्छी प्रकार वसूली हो सकेगी और बैंक के टूटने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड भी मिल सकेगा। अतः मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

किन्तु मैं विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, आशा है माननीय मंत्री उन पर विचार करेंगे। इस विधेयक के प्रस्तावक ने बैंकिंग प्रणाली की बुराइयों को दूर करने का जो प्रयत्न किया है उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। किन्तु एक विधि-व्यवसायी के रूप में इस विधेयक में रखी गयी संक्षिप्त अभियोग चलाने की विधि पर

[श्री आर० के० चौधरी]

मुझे आपत्ति है । श्रीमान्, आप जानते हैं कि सामान्य न्यायालयों में संक्षिप्त अभियोग तभी चलाये जाते हैं जब चुराई हुई या गबन की हुई सम्पत्ति का मूल्य ५० रुपये से अधिक न हो। इस में तो बड़ी बड़ी राशियों का मामला हो सकता है और फिर भी उच्च न्यायालय को संक्षिप्त रूप से अभियोग चलाने का अधिकार है । सत्य तो यह है कि इस विधेयक में यह नहीं दिया हुआ है कि किन मामलों में संक्षिप्त रूप से अभियोग चलाया जा सकता है और किन मामलों में संक्षिप्त रूप से अभियोग नहीं चलाया जा सकता । अपील सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में यह विधेयक स्पष्ट नहीं है।

विधेयक में यह लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय ऐसे नियम बनायेगा जिन में यह दिया हुआ होगा कि किस प्रकार के मामलों में अपील की आज्ञा दी जा सकती है और किस प्रकार के मामलों में अपील की आज्ञा नहीं दी जायेगी । अतः में माननीय मंत्री से यह कहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें। मैं यह कहूंगा कि उच्च न्यायालय में छोटे-मोटे अभियोग नहीं चलाये जाने चाहियें । क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय दे दिये जाने पर उन की अपील नहीं की जा सकेगी ।

इस के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में अभियोग चलाने पर बहुत खर्च आता है । ऋण लेने वालों को संक्षिप्त अभियोग से बहुत असुविधा होगी । जितना अधिक उच्च न्यायालय होगा अपीलीय न्यायालय में उतना ही कम न्याय होने की आशा होती है अतः इस प्रकार के सभी आपराधिक मामलों का निर्णय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए ।

इसके बाद मुझे सबसे अधिक आपत्ति इस उपबन्ध को सम्मिलित करने पर है जिसमें यह दिया हुआ है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय देय धन को शेष भूराजस्व के रूप में उगाहने का आदेश दे सकता है । यह तो दो निजी व्यक्तियों का झगड़ा है । इसमें सरकार या राज्य के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं । जब कोई एक व्यक्ति दूसरे से अपना धन वसूल कर रहा हो तो इस ढंग को अपनाना ठीक नहीं । अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे इस खण्ड पर विचार करें । यह खण्ड ४५ टी का उपखण्ड (३) है ।

जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है शेष भूराजस्व को वसूल करने का एक ढंग बन्दी बनाना भी है । किसी व्यक्ति के, राज्य के नहीं, ऋण को वसूल करने के लिये बन्दी बनाने के ढंग को अपनाना बहुत आपत्तिजनक है । यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और सभी देशों के विधान के भी विरुद्ध है । अतः इस पर मुझे बहुत आपत्ति है और आशा है कि माननीय मंत्री मेरे दृष्टिकोण को स्वीकार करके विशेष रूप से इस उपखण्ड को हटा देंगे ।

एक और चीज़ जिसका मेरे पूर्ववक्ता श्री यू० एम० त्रिवेदी ने भी उल्लेख किया था इस विधेयक का परिसीमन सम्बन्धी खण्ड है जो परिसीमन अधिनियम के सभी उपबन्धों को लांघ गया है और इसमें यह लिखा है कि किसी निदेशक से देय धन को वसूल करने के लिये अवधि की कोई सीमा नहीं है । यदि हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो निदेशकों से उन के जीवनकाल में तीन वर्ष के अन्दर ही सारी राशि वसूल कर लेनी चाहिए । उनके पौत्रों और प्रपौत्रों से उसे वसूल करने के लिये अनन्तकाल तक छोड़ देने का समर्थन नहीं किया जा सकता । अतः निदेशकों के लिये असीमित अवधि के खण्ड को निकाल देना चाहिए । अन्य ऋणों के सम्बन्ध में १२ वर्ष की अवधि है । प्रतिभूति के बिना या न-पूंजीबद्ध सामान्य ऋणों की वसूली की अधिकतम

अवधि केवल तीन वर्ष होती है । परन्तु यहां वसूली की अवधि १२ वर्ष रखी गई है । मेरा यह कहना है कि अवधि कुछ निश्चित और उचित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए । अतः मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि उन्हें इन खण्डों को पारित करवाने का आग्रह नहीं करना चाहिये ।

मैं थोड़ी थोड़ी राशि जमा करवान वालों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । यहां यह कहा गया है कि थोड़ी थोड़ी राशि जमा करवाने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिये । मैं यह कहता हूं कि ये थोड़ी थोड़ी राशि जमा रखने वाले व्यक्ति तो निदेशकों के विश्वासपात्र व्यक्ति ही होंगे जिन्हें बैंक की डांवांडोल स्थिति का पता होगा और वे १०० रुपये या ५० रुपये छोड़ कर बड़ी बड़ी राशियां पहले ही बैंक से निकलवा लेंगे । यह आवश्यक नहीं कि थोड़ी थोड़ी राशि वाले निर्धन ही हों । मैंने तो देखा है कि निर्धन व्यक्ति अपनी सारी की सारी जमा पूंजी बैंकों में जमा करवा देते हैं । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि ऐसे १४ बैंक टूट गये हैं जिनके मुख्यालय प्रान्त से बाहर थे और इससे जनसाधारण को ही सब से अधिक हानि हुई है । बेचारे साधारण जन चोरी, आगजनी इत्यादि से डर कर अपना सारा धन बैंकों में जमा करवा देते हैं और सब कुछ खो देते हैं । उन्हें तो अब १०० रुपये भी नहीं मिलते । मेरी सम्मति में माननीय मंत्री को यह राशि बढ़ा कर २०० या ३०० रुपये तक कर देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जिससे कि वास्तव में थोड़ी पूंजी जमा रखने वालों को नहीं, अपितु थोड़ी पूंजी वालों को लाभ पहुंच सके ।

**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : इसका निश्चय कौन करेगा कि कोई निर्धन है या नहीं ?

**श्री आर० के० चौधरी** : और सब चीजों का पता कैसे लगता है ? जमा करवाने वाले निर्धन व्यक्तियों को २०० रुपये या ३०० रुपये मिल जाने से कुछ तो राहत मिलेगी । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस उपबन्ध के अधीन दी जाने वाली राशि बढ़ा देनी चाहिये और वह जमा करवाने वाले निर्धन व्यक्तियों को मिलनी चाहिये ।

रिज़र्व बैंक के बारे में तो चुप रहना ही अच्छा है । इस समय का तो मुझे पता नहीं किन्तु १९४५ या १९४६ में जब रिज़र्व बैंक को किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक घोषित करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त था वे कुछ पूछताछ करके किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक घोषित कर देते थे । जनता यह समझती थी कि किसी अनुसूचित बैंक को कठिनाई होने पर रिज़र्व बैंक उसकी सहायता करेगा । मैं माननीय मंत्री को यह चुनौती देता हूं कि वे बतलायें कि बंगाल में जो बैंक टूटे हैं रिज़र्व बैंक ने उन में से किस को सहायता दी ? किसी बैंक के टूटने के समय उसकी धन या अन्य चीज़ों से सहायता की गई थी ?

**श्री ए० सी० गुहा** : नाथ बैंक की सहायता की गई थी ।

**श्री आर० के० चौधरी** : मुझे उसके विषय में पता नहीं है । जनता को भी इस का पता नहीं है ।

**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य बहुत देर से बोल रहे हैं । इस विधेयक पर विचार की अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि खण्डशः वाचन अतः माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे बहुत संक्षेप से बोलें ।

**श्री आर० के० चौधरी** : मैं माननीय मंत्री से केवल यह कहूंगा कि वे इन सुझावों पर विचार करें । मुझे और भी सुझाव देने थ

[श्री आर० के० चौधरी]

किन्तु अब मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

**श्री टी० के० चौधरी** : मैं इस विधेयक का तो स्वागत करता हूं किन्तु अपने माननीय मित्र डा० एम० एम० दास की युक्तियों को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि युद्धोत्तर काल में सरकार बैंकों के समापन से उत्पन्न स्थिति को ध्यान से देख रही थी और उसने धन जमा करवाने वालों की सहायता के लिये बहुत से अधिनियम पारित किये।

मैं १९४९ के बाद से गत चार वर्षों के इतिहास की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९४९ में बैंकिंग समवाय अधिनियम पारित किया गया था। यदि आप बैंकों के टूटने के आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि १९४९ में ४८ बैंकों ने अपना कार्य बन्द कर दिया, १९५० में ३३ बैंकों और १९५१ में २४ बैंकों ने। सरकार ने इन साढ़े तीन वर्षों में केवल १९५० में एक अध्यादेश पारित किया जिसके स्थान पर बाद में १९५० का बैंकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया। इससे केवल समापन की कार्यवाहियों को कम कर दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार ने केवल यह सोचा कि समापन प्रक्रिया को सरल और शीघ्रता से कर देने से ही थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करने वालों की रक्षा हो जायेगी।

मेरा यह कहना है कि देश की सारी बैंकिंग प्रणाली के सरकार और रिज़र्व बैंक के हाथ में होने पर भी वह १९४६–४७ के बैंकिंग के संकट को देख कर इसके कारणों को नहीं जान सकी। समापन प्रक्रिया समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अधिकांश बैंक १९४७ के बाद टूटे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मुद्रास्फीति के कारण इन्हें जो काफी धन मिला था उसे ये अच्छी प्रकार विनियोजित नहीं कर सके। इसलिये जनता का इन पर से विश्वास उठ गया। इसके कारणों में देश का विभाजन भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि बहुत से बैंकों की सम्पत्ति पाकिस्तान में थी।

कलकत्ते में बहुत अधिक हत्या इत्यादि के पश्चात् स्टाक एक्सचेंज में वज्रपात हुआ और उसके साथ ही जिन बैंकों ने स्टाक और शेयरों में रुपया लगाया हुआ था वे दिवालिये हो गये। परन्तु उस समय सरकार और रिज़र्व बैंक ने कुछ नहीं किया।

यह पूछा जा सकता है कि क्या किया जा सकता था। हमारे माननीय मित्र श्री बी० दास ने वर्तमान संशोधक विधेयक को ठीक ही एक नकारात्मक विधान कहा है। यदि हम थोड़ी थोड़ी राशि जमा करवाने वालों और उन बैंकों की रक्षा करना चाहते हैं जो जैसे तैसे काम चला रहे हैं, किन्तु जिनके टूटने का भय है, तो हमें कुछ ठोस उपाय करने चाहियें।

माननीय उपमंत्री महोदय को १९२९–३० में ब्रिटेन की आर्थिक अवस्था के संकट से सबक सीखना चाहिये। विख्यात अर्थ विशेषज्ञ डा० एडविन केमरर ने अपनी 'ए बी सी आफ दी फेडरल रिज़र्व सिस्टम' में इनका विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इसके लिये पहले तो राष्ट्रीय उधार निगम की स्थापना की और जब इससे भी सफलता नहीं मिली तो बैंकों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये पुनर्निर्माण वित्त निगम बनाया।

मेरा यह विचार है कि परिसमापन प्रक्रिया को सादा बना देने मात्र से ही या नकारात्मक कानून पास करने से थोड़ा थोड़ा धन लगाने वालों की रक्षा नहीं हो सकती। सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही

गई जिससे यह मालूम हो कि कोई ठोस सकारात्मक कार्यवाही करने का विचार है। ऐसी कार्यवाही करके ही मध्यवर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग के लोगों को सहायता दी जा सकती है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने रुपया जमा कराने वालों का किसी हद तक बीमा करने की बात भी सोची है? अमरीका में एक कार्पोरेशन है जो बैंकों में जमा कराए गए रुपये का बीमा करता है। बैंक का दिवाला निकलने पर, रुपया जमा कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ५,००० डालर तो मिल ही जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें और इसी प्रकार का कोई उपाय करें।

इस विधेयक द्वारा उच्च न्यायालयों को कुछ शक्तियां दी गई हैं। परन्तु रिज़र्व बैंक को भी रिज़र्व बैंक अधिनियम के अधीन बड़ी विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक क्या करता रहा? माननीय मंत्री ने बताया कि रिज़र्व बैंक ने १२ अनुसूचित बैंकों में से एक की सहायता की। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में खुले आम यह आरोप लगाया गया है कि रिज़र्व बैंक ने अपने कार्य-पालन में पक्षपातीयता से काम लिया है। माननीय मंत्री को चाहिए कि ऐसे काम न होने दें।

बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिज़र्व बैंक को चाहिए कि स्वस्थ बैंकों की देखभाल करे, बीमार बैंकों की दवा दारू करे और मरे हुए बैंकों की अन्त्येष्टि कर दे। हम जो विधेयक पास कर रहे हैं यह मरे हुए बैंकों की अन्त्येष्टि करने या उन की शव परीक्षा करने के समान है। परन्तु क्या रिज़र्व बैंक ने स्वस्थ बैंकों की देखभाल तथा बीमार बैंकों की दवा दारू की है?

हाल ही में बंगाल के एक बैंक से अपना कारोबार बन्द करने को कहा गया। यह खुले आम आरोप लगाया गया है कि यह इसलिए किया गया कि कुछ गैर बंगाली लोग उसके प्रबन्ध विभाग में आना चाहते थे परन्तु आ नहीं सके; इसलिए बैंक के परिसम्पत ठीक होते हुए भी ऐसा आदेश दिया गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री तथा सदन इन आरोपों पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि रिज़र्व बैंक का कर्त्तव्य नकारात्मक ही नहीं है। अब यह राष्ट्रीय बैंक है, इसे सभी बैंकों के विकास में सहायक होना चाहिए।

राष्ट्रीय योजना आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि केन्द्रीय बैंक का काम केवल प्रत्यय प्रदान करना ही नहीं है। आज-कल रिज़र्व बैंक नकारात्मक ढंग से ही काम कर रहा है। यह सच है कि युद्ध के बाद कठिन परिस्थितियां रही हैं, हम यह भी जानते हैं कि कुछ बैंकों ने अपने धन का विनियोग ठीक ढंग से नहीं किया है परन्तु रिज़र्व बैंक ने उन्हें सहायता देने के लिए क्या किया है?

योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि योजना को सफल बनाने के लिए कुछ विशेष दशाओं में प्रत्यय की विशेष सुविधाएं देनी होंगी। परन्तु अन्य बातों की तरह यह विचार भी आयोग की रिपोर्ट में ही दबा पड़ा है। जिन लोगों के हाथ में हमारे राष्ट्र का प्रत्यय या वित्त है, उन में से कोई भी न योजना आयोग के उपरोक्त सिद्धान्तों को जानता या समझता है और न ही उन पर कार्य करता है।

जो भी हो, इस विधेयक में चाहे कुछ भी त्रुटियां क्यों न हों, मैं सच्चे दिल से इसका समर्थन करता हूं।

**श्री वी० बी० गांधी** (बम्बई नगर---उत्तर) : मुझे विश्वास है कि सामान्यत: सदन इस विधेयक का स्वागत करेगा क्योंकि यह बैंकों के नियंत्रण सम्बन्धी कानूनों की कमी

[श्री वी० बी० गांधी]

को पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि यदि यह विधेयक बंगाल के उन सहस्रों व्यक्तियों के लिए है जिनका रुपया बैंकों में डूब चुका है तो यह बड़ी देरी से रखा गया है। तीसरी बात यह है कि पता नहीं बैंक के निदेशकों से क्यों इतनी कड़ाई से पेश आया गया है।

इस विधेयक का सम्बन्ध दो समस्याओं से है। उन में से एक तो है अदालतों का बाहुल्य और दूसरी मुकद्दमों का बाहुल्य। इस सम्बन्ध में कानून अधूरे ही रहे हैं। हमें १९३४ में ही इस मामले को तै कर देना चाहिए था जबकि रिज़र्व बैंक बना था। १९४९ में बैंकिंग कम्पनी अधिनियम पास करके एक मुख्य कार्यवाही की गई। इस अधिनियम में बैंकों के नियंत्रण में सहायता देने के लिए प्रख्यापित किए गए कई अध्यादेश भी सम्मिलित कर लिए गए थे।

१९४९ के अधिनियम के अधीन भी परिसमापन की कार्यवाही भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार ही होती थी। इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हुईं जिनसे निपटने के लिए बैंक कम्पनी अधिनियम का संशोधन १९५० में किया गया।

सरकार ने जुलाई, १९५२ में एक बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति नियुक्त की। प्रस्तुत विधेयक अधिकतर इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि परिसमापन प्रक्रिया को सीधी सादी बनाने की आवश्यकता है। पश्चिमी बंगाल में ८२ बैंकों ने दिवाला दिया हुआ है। परिसमापकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप ५७ लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसमें से कुल १७ लाख ६४ हज़ार रुपये बैंकों में रुपया जमा कराने वालों को मिले। बाकी का सारा रुपया परिसमापन व्यय में निकल गया। और इस १७ लाख, ६४ हज़ार में से १५ लाख, ६१ हज़ार रुपये अकेले एक बैंक ने दिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा, बैंक निदेशकों के सम्बन्ध में कुछ उपबन्धों को छोड़ कर हम सारे विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। इसमें एक विशेष अधिकारी का उपबन्ध किया गया है जो प्रार्थना पत्र दिये जाने पर फौरन ही बैंक के सारे परिसम्पतों, हिसाब किताब आदि को सम्भाल लेगा। इस में न्यायालय की ओर से परिसमापकों की नियुक्ति का उपबन्ध भी है। यह भी कहा गया है कि हिसाब की किताबों को साक्ष्य मान लिया जायगा।

६ म० प०

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य के भाषण के बीच में नहीं बोलना चाहता परन्तु १४ मिनट से वे इस कानून का साहित्य ही बता रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि वे तथ्य की बात कहें और यथाशीघ्र अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री वी० बी० गांधी**: जहां तक बैंकों के निदेशकों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि जिस भाषा में ये लिखे गये हैं वह भी दोषरहित नहीं है। बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति की रिपोर्ट में स्थान स्थान पर निदेशकों के सम्बन्ध में ऐसी बातें कही गई हैं जो उचित नहीं हैं।

इस समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि १९२६ और १९४६ के बीच, अर्थात् २० वर्ष में १६४ बैंक फेल हुए। इन बैंकों का दायित्व २ करोड़ १२ लाख रुपये था। उसके बाद १९४७ और १९५२ के बीच १५७ बैंक फेल हुए जिनका दायित्व २७ करोड़ ५० लाख रुपये था। तो इन दो अवधियों में इतना अन्तर क्यों पड़ा ? क्या इसकी जिम्मेदारी निदेशकों पर है ? परन्तु निदेशक तो जैसे

पहले हुआ करते थे, वैसे ही आजकल भी हैं। बैंकों के फेल होने के कारण समिति ने निम्न-लिखित बताए हैं :

> "अधिकतर बैंक १९४७ के बाद फेल हुए किसी हद तक इसका कारण यह था कि दूसरे महायुद्ध के बाद लोगों को ऐसी संस्थाओं में विश्वास नहीं रहा जिनके पास मुद्रा प्रसार के काल में बहुत सा रुपया जमा कराया गया जो ठीक ढंग से लगाया नहीं गया। इसके और भी कारण थे जिन में १९४७ में देश के विभाजन के आर्थिक प्रभाव भी शामिल हैं।"

समिति ने इस प्रकार कारणों का विश्लेषण किया है। परन्तु कई पृष्ठों में बैंक के डाइरेक्टरों के बारे में जो कहा गया है वह उसकी इस बात के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए एक जगह वे कहते हैं कि बैंकों के दिवालिया होने का कारण डाइरेक्टरों की अकुशलता और बैंकों का कुप्रबन्ध है। दूसरे स्थान पर उन्होंने यह आश्चर्यजनक भावना प्रकट की है कि डाइरेक्टरों और जमा करने वालों के बीच एक न एक दिन तो हिसाब किताब होना ही चाहिये। विधेयक की टिप्पणी में एक स्थान पर कहा गया है कि :

> "बैंकिंग कम्पनी में जमा करने वालों का, जिनके पैसे का अपव्यय होने का ख़तरा है—कितने पैसे का अपव्यय, होने का खतरा है, इस पर ध्यान दें—डाइरेक्टरों की नियुक्ति के मामले में कोई हाथ नहीं रखा गया है। चूंकि बैंक डाइरेक्टरों की अकुशलता के कारण दिवालिया होते हैं इसलिये डाइरेक्टरों और लेखा-परीक्षकों से उनकी ग़लतियों के लिये जवाब मांगा जाना चाहिये।"

जहां तक डाइक्टरों का सम्बन्ध है विधेयक इस तरह की भावना से रचा गया है। धारा ४५-छ के उपखंड ९ में लिखा है कि उच्च न्यायालय किसी डाइरेक्टर को चाहे कोई धोखेबाज़ी हुई हो या नहीं अयोग्य ठहरा सकता है और उसे किसी कम्पनी का डाइरेक्टर बनने से रोक सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम न्यायालय से किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिये क्यों कह रहे हैं और फिर जब कोई धोखेबाज़ी नहीं हुई है तो उसे अयोग्य क्यों घोषित किया जा रहा है। डाइरेक्टर अनर्ह हो सकता है। परन्तु अनर्ह होना और अयोग्य ठहराया जाना अलग अलग चीजें हैं। यदि वह वास्तव में अयोग्य है और आप उसे पांच वर्ष के लिये अनर्ह कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि पांच वर्ष बाद वह फिर योग्य हो जायेगा। यदि वह अनर्ह ठहराया जाता है तब तो यह समझा जा सकता है कि न्यायालय को उस अनर्हता को दूर करने का तथा पांच वर्ष बाद उसे अर्ह करने का अधिकार है। इस बारे में मैंने एक संशोधन दिया है। भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १४१-क में एक उपबन्ध है जिससे सारी कमी पूरी हो सकती है। उसमें बहुत सोच समझ कर शब्द रखे गये हैं। इंगलिस्तान के समवाय अधिनियम १८४८ में भी इसी बात का उपबन्ध है कि धोखेबाज़ी किये जाने के बाद ही किसी व्यक्ति को अनर्ह किया जा सकता है। इस विधेयक में, चाहे धोखेबाज़ी हो या न हो, हम उसे अयोग्य ठहराने पर तुले हुए हैं।

मेरे विचार में हमारे यहां अभी बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। हमारे देश में आज मुश्किल से ४,००० बैंक हैं यानी ९०,००० व्यक्तियों के लिये एक बैंक है जबकि इंग्लैंड और कनाडा में हर चार हज़ार के लिए एक बैंक है। यदि हम उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे यहां ९०,००० बैंक होने चाहियें। हमें चाहिये कि हम किसी वर्ग के लोगों को रुद्ध या उनको अपमानित किये बिना ही अपने

[श्री वी० बी० गाँधी]

उद्देश्य की पूर्त्ति करें। इसके विपरीत हमें उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करना चाहिये।

**श्री के० के० बसु** : जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, यह आशा की जाती थी कि इस विधेयक के अन्तर्गत हम बैंकों की परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही के अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा कर सकेंगे। हम सोचते थे कि इसके साथ रिज़र्व बैंक के कार्यों पर और सरकार का इस बैंक के काम पर निगरानी रखने के कर्त्तव्य पर भी वाद विवाद हो सकेगा। जैसा सब जानते हैं बैंकों का सम्बन्ध आम लोगों से होता है; इसलिये उनके प्रबन्ध के बारे में सारी कमियां दूर कर दी जानी चाहियें। परन्तु स्थिति की अविलम्बनीयता को देखते हुए सरकार परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही के लिये ही यह विधेयक लाई है।

माननीय उपमंत्री जानते हैं कि पिछले ६ या ७ वर्षों में पश्चिमी बंगाल के लोगों को बैंकों के दिवालिया होने के कारण बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। वर्तमान बंकिंग समवाय अधिनियम में भी धारा ३५ और ३६ में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया बैंकों के शासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सरकार रिज़र्व बैंक से किसी विशेष बैंक के मामले में जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट देने के लिये कह सकती है। हम सोचते थे कि इस क़ानून को बनाते समय सरकार हमें बतायेगी कि पिछले छः या सात वर्षों में जब इतने सारे बैंक दिवालिये हुए हैं, सरकार ने इस दिशा में अपना उत्तरदायित्व कहां तक निभाया है। दुर्भाग्य से, इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और जहां तक हमें पता लगा है रिजर्व बैंक और केन्द्रीय बैंक ने इस बारे में अपनी ज़िम्मेदारी बहुत कम निभाई है। ख़ैर, इतनी देर से इस क़ानून को लाकर शायद हम थोड़ा सा रुपया, जो हाथ से जा रहा था, बचा सकेंगे।

इस सम्बन्ध में न्यायालय के परिसमापकों को नियुक्त करने का उपबन्ध किया गया है। बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति ने न्यायालय के परिसमापक और ग़ैर-सरकारी परिसमापक की स्थिति की तुलना की थी। उसी के फलस्वरूप हम परिसमापन कार्यवाही के खर्चे को कम से कम रखने और जमा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये न्यायालय के परिसमापक नियुक्त कर रहे ह। परन्तु हम नहीं जानते हैं कि इसमें एक परन्तुक क्यों जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार उच्च न्यायालयों को न्यायालय के परिसमापक के बजाय अन्य असरकारी परिसमापक नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। मैं उच्च न्यायालयों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे राज्य में उच्च न्यायालय ने जहां तक जमा करने वाले लोगों का प्रश्न ह, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है।

हमें मालूम है कि वर्ष १९४६ व १९४७ में बहुत से बैंकों का दिवाला निकला था पश्चिमी बंगाल में दिवालिया बकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जिनका बहुत सा रुपया पाकिस्तान में रह गया था और वसूल नहीं हो पाया था; दूसरे वे जिनके मैनेजरों और डाइरेक्टरों ने सट्टे या फाटके के सौदों में रुपया लगाया था जिसके कारण आगे चल कर बैंकों में रुपया जमा करने वालों को नुक़सान उठाना पड़ा और वे बरबाद हो गए। पर रिज़र्व बैंक ने कोई कार्यवाही नहीं की।

१९४७ से दो वर्ष के बाद १९४९ में बैंकिंग समवाय अधिनियम लागू हुआ। हम समझते थे कि इन बकी कों हालत से जो अनुभव हुआ है उसको ध्यान में रख कर इस

क़ानून की सारी कमियां पूरी कर दी जायँगी। परन्तु बैंकिंग समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सारे मामले अधीन न्यायालयों से हटा कर उच्च न्यायालयों को भेज दिये गये। न्यायालय के नियमों के अनुसार छोटे छोटे दावों के लिये बहुत सा क़ानूनी खर्चा मंजूर किया गया। हमारे उच्च न्यायालय ने तीन या चार वर्षों में भी नियम नहीं बनाये। ऐसी स्थिति होने पर भी हम उच्च न्यायालयों को न्यायालय के परिसमापन नियुक्त नहीं करने का विकल्प दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि न्यायालयों का रवैया इस मामले पर मामूली मुक़द्दमों से भिन्न होना चाहिये था। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को अधिकार देने से पहले हमें पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिये।

बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो जांच समिति नियुक्त करें और चाहें तो न करें। इसलिये यदि अन्य कोई असरकारी परिसमापक नियुक्त होता है तो और न्यायालय यह फ़ैसला करता है कि जांच समिति नियुक्त न की जाये तो रुपया जमा करने वाले लोगों का सारी व्यवस्था में कोई हाथ न होगा और उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी। इस बारे में कोई न कोई उपबन्ध अवश्य होना चाहिये। मैंने इसके लिये एक संशोधन रखा है और मैं आशा करता हूं कि मुझे उस पर बोलने का अवसर दिया जायेगा।

अब मैं क़ानूनी खर्चे के प्रश्न पर आता हूं। मेरी राय में इसके लिये सरकार द्वारा वैतनिक वकील नियुक्त किये जाने चाहियें। पश्चिमी बंगाल और त्रावणकोर-कोचीन जैसे राज्यों में हमें उचित वेतन पर अच्छे वकीलों की सेवायें प्राप्त हो सकती हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि परिसमापन कार्यवाहियों में न्यायालय के शुल्क में भी कुछ रियायत होनी चाहिये।

मैं अब बैंकों के कर्मचारियों द्वारा जमानत के रूप में जमा किये गये रुपये के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस बारे में काफ़ी मतभेद है कि अन्य लेनदारों के मुकाबले में इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इन लोगों के हितों की रक्षा का उपबन्ध होना चाहिये। यदि इन लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो इन्हें अपना रुपया वसूल करने में बहुत समय लग जायेगा जिससे इन्हें कड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। कर्मचारियों की भविष्य निधि के बारे में भी इसी तरह का कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये। मैं यही सब बातें माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इन पर उचित रूप से सोच विचार करेंगे।

जहां तक डाइरेक्टरों से सम्बन्धित उपबन्ध का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र श्री बी० बी० गांधी मेरे राज्य में आयें और देखें कि इन डाइरेक्टरों ने किस तरह काम किया है। मैं तो यह कहूंगा कि पिछले छः वर्षों से उच्च न्यायालयों ने इन लोगों के साथ सीधेपन से व्यवहार किया है। सौभाग्य से इस विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध हुआ है परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह उपबन्ध ऐसे डाइरेक्टरों के लिये जो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभायेंगे, कहां तक काफ़ी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विधेयक की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहता हूं कि इसे इसी सत्र में पारित कर दिया जाये।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार २ दिसम्बर, १९५३ के डेढ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।**